47

सी०बी० दो सं० 378

लोक सभा

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991

47

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

लोक सभा में 22 दिसम्बर, 1992 को प्रस्तुत किया गया
राज्य सभा में 21 दिसम्बर, 1992 को सभा पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 1992/ अग्रहायण/पौष, 1914 (शक)

मूल्य: रु० 11.20

H26

विषय सूची

	पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	(iii)
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)—(x)
विमति टिप्पण	(xi)
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1—14

परिशिष्ट

एक:	विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के बारे में लोक सभा में प्रस्ताव	15
दो:	राज्य सभा में प्रस्ताव	16
तीन:	संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे समिति ने ज्ञापन प्राप्त किये हैं	17—40
चार:	साक्षियों की सूची जिन्होंने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया	41—44
पांच:	संयुक्त समिति का कार्यवाही सारांश	45—91

(JN)RR 179.92.93

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण), विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती गिरिजा देवी
6. डा० महाबीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल
7. डा० विश्वानाथम कैनिथी
8. श्रीमती सुमित्रा महाजन
9. श्रीमती गीता मुखर्जी
*10. डा० (श्रीमती) पदमा
11. डा० कार्तिकेश्वर पात्र
12. डा० वसंत पवार
13. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम
14. कुमारी उमा भारती
15. कुमारी विमला वर्मा

राज्य सभा

16. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन
17. श्रीमती सरला महेश्वरी
18. श्री शारदा महन्ती
19. श्री वी० नारायण स्वामी
20. श्रीमती सत्या बहिन
21. श्रीमती सुषमा स्वराज
**22. .....

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — **अपर सचिव**
2. श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
3. श्री आर० के० चटर्जी — **उप सचिव**
4. श्री टी० डी० ढींगड़ा — **अवर सचिव**

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० जयकर — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**
2. श्री एन० के० अग्रवाल — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**
3. श्री बी० आर० अत्रे — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**
4. श्री एम० एस० शर्मा — **अपर विधायी सलाहकार**
5. श्री टी० के० विश्वनाथन — **अपर विधायी सलाहकार**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती उषा वोहरा — **सचिव**
2. श्री ए० के० मुखर्जी — **कार्यकारी डी० जी० एच० एस०**
3. श्री एस० बी० मिश्रा — **संयुक्त सचिव**
4. श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक**

---

* श्री के० आर० नारायणन द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर 20.12.1991 से नामनिर्दिष्ट।

** श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर का राज्य सभा में कार्यकाल पूरा होने पर वे 4.7.1992 से समिति के सदस्य नहीं रहे और उनका रिक्त पद भरा नहीं गया है।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे विधेयक* अर्थात् प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 भेजा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर समिति का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू।

2. विधेयक 12 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम० एल० फोतेदार ने 16 सितम्बर, 1991 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयक के संदर्भ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (परिशिष्ट — एक)

3. राज्य सभा ने 17 सितम्बर, 1991 (परिशिष्ट दो) को उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

4. राज्य सभा से संदेश 19 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में बुलेटिन भाग—दो में प्रकाशित हुआ।

5. समिति की कुल 18 बैठकें हुई।

6. समिति की पहली बैठक 22 अक्तूबर, 1991 को हुई। (इस बैठक में समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया जिसमें 22 नवम्बर, 1992 तक राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, बार काउंसिल चिकित्सा संगठनों तथा उन व्यक्तियों से, जो कि विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखते हैं, ज्ञापन आमंत्रित किए जायें जिनमें विधेयक पर उनके सुझाव / टिप्पणियां अंतर्विष्ट हों ताकि समिति उन पर विचार कर सके। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रेस / टेलीविजन / आकाशवाणी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। मंत्रालय को जनता में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु विधेयक की विषय-वस्तु का व्यापक प्रचार करने के उपाय भी करने चाहिए।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, महिला संगठनों, अन्य सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा और कानूनी व्यवसाय में लगे लोग तथा अन्य विशेषज्ञ जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है को एक पत्र भेजा जाए जिसमें विधेयक पर उनकी टिप्पणियां / सुझाव आमंत्रित की गई हों।

समिति ने यह सुझाव भी दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशिष्ट प्रश्नावली तैयार करवायी जाये जिसे इन संगठनों / विशेषज्ञों को भेजा जा सके ताकि उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। समिति संगठनों / निकायों / व्यक्तियों को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए चार हफ्ते का समय देने हेतु सहमत हो गयी।

तदनुसार 23 अक्तूबर, 1991 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें मौखिक साक्ष्य के लिए आवेदन और ज्ञापन आमंत्रित किए गए।

7. समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और व्यक्तियों जिनके नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भेजे थे, को एक पत्र जारी किया गया जिसमें इनसे ज्ञापन आमंत्रित किये गये थे जिनमें विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियां / सुझाव शामिल हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जिसमें आम जनता से 25 दिसम्बर, 1991 तक ज्ञापन आमंत्रित किए गए।

8. समिति को विभिन्न संगठनों / व्यक्तियों आदि से 304 ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियां / सुझाव शामिल थे। (परिशिष्ट—तीन)

9. समिति ने 18 से 20 मई, 1992 तक मुम्बई और जयपुर का दौरा किया। समिति ने 18 मई, 1992 को मुम्बई में तीन गैर-सरकारी संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिया और विभिन्न संगठनों / अस्पतालों / व्यक्तियों / विशेषज्ञों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 19 अन्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की। 19 मई, 1992 को समिति ने मुम्बई में दो अस्पतालों अर्थात् जे० जे० अस्पताल और बाम्बे हास्पिटल का दौरा किया और वरिष्ठ डाक्टरों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। समिति ने 19 मई, 1992 को महाराष्ट्र की राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की।

समिति ने, जयपुर में कुछ गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न अस्पतालों / संगठनों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य कुछ व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने 20 मई, 1992 को राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की।

10. समिति ने 20 और 21 जनवरी, 20 फरवरी, 18 से 20 मई और 7 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठकों में 23 गैर-सरकारी संगठनों, इस क्षेत्र के पांच विशेषज्ञों और अन्य कई व्यक्तियों से भी मौखिक साक्ष्य लिया। जिन व्यक्तियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया, उनकी सूची परिशिष्ट—चार में है।

11. समिति का प्रतिवेदन बजट सत्र, 1992 के अंत तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो बार समयावधि बढ़ाई गई — पिछले 27 फरवरी, 1992 से मानसून सत्र, 1992 के अंत तक दूसरी बार 19 अगस्त, 1992 से शीतकालीन सत्र के अंत तक।

---

*दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—दो, खण्ड—दो में प्रकाशित हुआ।

12. समिति ने 2, 3, 19 और 20 नवम्बर, 1992 को हुई अपनी बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर विधेयक के प्रावधानों पर खण्डवार चर्चा की।

13. समिति ने दिसम्बर 16, 1992 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाए (दो) समिति द्वारा प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो प्रतियां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात संसद के सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रखी जाएं।

14. समिति ने दिसम्बर 16, 1992 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियों का ब्यौरा अनुवर्ती पैराग्राफों में है।

खंड-2 — परिभाषाएं

16. खंड 2 (ग), (घ), (ङ) के लिए प्रस्तावित संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस खंड पर विचार करते हुए कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के प्रयोजन से प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों के दुरूपयोग को रोकने के लिए केवल सरकारी अस्पतालों में ही इन सुविधाओं की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, कुछ अन्य सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया कि सरकारी संस्थानों पर पहले से ही प्रसवपूर्व निदान के लिए उपलब्ध सुविधाओं के लिए दबाव है और वे पूरे देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। अतः, गैर-सरकारी संस्थानों में ऐसी सुविधाओं का निषेध वांछनीय नहीं होगा। समिति का विचार है कि प्रसवपूर्व निदान की इन सुविधाओं के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि गैर सरकारी क्षेत्र में ये सुविधाएं अधिनियम अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

17. **उपखंड (ग)**

"आनुवांशिकी सलाह के" की विद्यमान परिभाषा पर विचार करते हुए समिति ने राय व्यक्त की कि रोगी को ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां प्रसूति संबंधी अथवा स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, किसी भी स्थान पर परामर्श दिया जा सकता है। अतः समिति ने यह निर्णय किया है कि आनुवांशिकी सलाह केन्द्र की परिभाषा को जहां रोगियों को सलाह दी जाए "एक संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह अथवा कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से अभिज्ञात क्यों न हों", के रूप में संशोधित कर दिया जाए।

18. **उपखंड (घ)**

समिति महसूस करती है कि "सलाह केन्द्र" से विभिन्न आनुवांशिकी क्लीनिक "एक ऐसा स्थान है चाहे वह किसी भी नाम से अभिज्ञात हो, जहां प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियायें की जाती हैं। अतः समिति ने तदनुसार विद्यमान परिभाषा को संशोधित कर दिया है।

उपखंड (ङ)

19. समिति महसूस करती है कि "आनुवांशिकी प्रयोगशाला" में आनुवांशिकी क्लीनिक से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण अथवा जांच की जाती है जोकि "सलाह केन्द्र" से जो कि केवल, मैखिक रूप से दी जाती है, और अतः उपखंड को "सलाह केन्द्र" शब्दों के स्थान पर "क्लीनिक" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए तदनुसार संशोधित किया गया है।

20. समिति की राय है कि यद्यपि यह अभीष्ट है कि (एक) आनुवांशिकी सलाह केन्द्र, (दो) आनुवांशिकी क्लीनिक, तथा (तीन) आनुवांशिकी प्रयोगशाला एक ही स्थान पर हों; फिर भी हमेशा उनका एक ही स्थान पर होना संभव नहीं होगा।

21. **उपखंड (च)**

समिति महसूस करती है कि "स्त्री रोग चिकित्सक" तथा प्रसूति विशेषज्ञ के बीच कोई भिन्नता नहीं है, जिनकी प्राथमिक योग्यताएं समान होती हैं। अतः समिति ने स्त्री रोग चिकित्सक और 'प्रसूति विशेषज्ञ' की परिभाषा में इन्हें शामिल करने के लिए इस उपखंड को संशोधित किया है।

22. सांमति की यह भी राय है कि चूंकि एक स्त्री रोग चिकित्सक, एक प्रसूति विशेषज्ञ तथा एक शिशु रोग विशेषज्ञ एक ऐसा समूह है, जो कि चिकित्सा आनुवांशिकीय क्षेत्र में कार्यरत है, और हो सकता है कि कुछ स्थानों पर केवल एक शिशु रोग विशेषज्ञ ही परामर्श देता है। अतः "शिशुरोग विशेषज्ञ" की भी एक पृथक परिभाषा देना आवश्यक है। अतः समिति ने "शिशुरोग विशेषज्ञ" की परिभाषा देने के लिए एक नया उपखंड जोड़ने का निर्णय लिया है।

23. **उपखंड (ज) तथा (झ)**

"प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं" तथा "प्रसवपूर्व निदान परीक्षणों" की परिभाषाओं पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि "अल्ट्रासोनो ग्राफी" एक ऐसी तकनीक है जो कि व्यापक रूप से न केवल कुछ असामान्यताओं अथवा रोगों का पता लगाने के लिए अपितु लिंग निर्धारण के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग में लाई जा रही है। कुछ अनैतिक संस्थाओं द्वारा इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए समिति ने इन प्रक्रियाओं तथा परीक्षणों के दायरे में 'अल्ट्रासोनोग्राफी' को शामिल करने तथा तदनुसार "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं" तथा "प्रसवपूर्व निदान परीक्षणों" की परिभाषाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया।

खंड—3

24. इस खंड जिसमें आनुवांशिकी सलाह केन्द्र, प्रयोगशालाओं तथा क्लीनिकों के विनियमन का प्रावधान है, के विभिन्न संशोधनों पर विचार करते समय समिति ने विस्तार से इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या कुछ अनैतिक व्यक्तियों द्वारा लिंग निर्धारण के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीन के पंजीकरण के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। जहां कुछ सदस्य ऐसे पंजीकरण के पक्ष में थे, समिति ने निर्णय किया कि प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरूपयोग के संबंध में विधेयक में पहले पर्याप्त विनियामक प्रावधान हैं अतः उन्हें पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन मशीनों को विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी अन्य अत्याधूनिक मशीनें तथा उपकरण हैं जिन्हें आनुवांशिकी तथा अन्य जांचों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जिनके लिए ऐसा कोई पंजीकरण विनिर्दिष्ट नहीं है। अतः अल्ट्रासाउंड मशीनों के पंजीकरण के लिए विधेयक में प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

उपखंड (3)

25. समिति ने उपरोक्त पैरा 22 में स्पष्ट किए गए कारणों के लिए "स्त्री रोग चिकित्सक" शब्द के पश्चात "शिशु रोग विशेषज्ञ" जोड़ने का निर्णय किया है।

खंड—4

उपखंड—3 (तीन)

26. इस उपखड में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय गर्भवती स्त्री पर किसी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का प्रयोग नहीं कराएगा, न ही उसे प्रोत्साहित करेगा। इस उपखंड के अनुसार प्रसवपूर्व निदान तकनीक का प्रयोग गर्भवती महिला पर तभी किया जा सकता है यदि वह प्रभाव्य विरूपकारी औषधियों से विकिरण, संक्रमण या जोखिमयुक्त रसायनों से प्रभावित हुई है, तथापि समिति यह महसूस करती है कि जोखिमरहित रसायन विरूपकारी हो सकता है। प्रावधान में मुख्य शब्द है "विरूपकारी"। अतः समिति ने निर्णय लिया कि "रसायन" शब्द से पहले "जोखिमयुक्त" शब्द का लोप किया जाए। इसके अतिरिक्त समिति ने प्रावधान को अधिक व्यापक बनाने के लिए "औषध" शब्द से पहले "एजेंट जैसे कि" शब्द जोड़े।

खंड—5

27. इस खंड में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं का तब तक संपादन नहीं करेगा जब तक कि उसने उस गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी प्रभावों और पश्चात्वर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो और ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित में सहमति न ले ली गई हो। समिति ने टिप्पणी की कि कई बार गर्भवती महिला को इसका निहितार्थ पूरी तरह समझाए बिना यह परीक्षण करा दिया जाता है। अतः महिला को उस पर किए जाने वाले परीक्षणों के संबंध में उसको जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात पश्चातवर्ती प्रभावों के बारे में उसे क्षेत्रीय भाषा में, जिसे वह समझ सकती है, बता दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उन मामलों को छोड़कर जहां परीक्षण विनिर्दिष्ट तौर पर यौन संबंधी रोग का पता लगाने के लिए है, भ्रूण का लिंग उस महिला तथा उसके संबंधियों को बिल्कुल नहीं बताया जायेगा। इस खंड में, संबंधित क्षेत्रीय भाषा में गर्भवती महिला की लिखित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए जैसी कि इस अधिनियम के नियमों तथा विनियमों में निर्धारित की जाए; और इसकी एक प्रति उस महिला को देने के बाद, तथा यदि यह परीक्षण विशिष्ट तौर पर यौन संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए, भ्रण का लिंग मौखिक या प्रतीकात्मक अथवा लिखित या किसी अन्य रूप में उस महिला को जिस पर यह परीक्षण किया गया है अथवा उसके संबंधियों को नहीं बताया जाएगा, को शामिल करने के लिए तदनुसार संशोधन किया गया।

28. इसके अतिरिक्त वर्तमान शब्द "सभी संभाव्य प्रभाव" के बारे में समिति ने निर्णय लिया कि इन्हें बदलकर "सभी ज्ञात प्रभाव" कर दिया जाए, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में काफी तीव्र गति से विकास हो रहा है, हो सकता है कि किसी भी समय निदान प्रक्रिया करने वाले डाक्टर को इन विकासों के संबंध में जानकारी न हो; अतः यह आवश्यक है कि सदाश्यता से कार्य कर रहे डाक्टर को हर प्रकार से संरक्षा प्रदान की जाए। अतः डाक्टर को महिला को केवल सभी "ज्ञात" प्रभावों के बारे में बताना है तथा न कि आवश्यक रूप से सभी "संभाव्य" प्रभावों के बारे में।

खंड-7

29. इस खंड में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो खंड 16 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समुनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। परिवार कल्याण के प्रभाव मंत्री इसके पदेन सभापति हैं। समिति महसूस करती है कि इसमें केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के पदेन महानिदेशक, बालरोग विशेषज्ञ, 3 महिला संसद सदस्य, 2 लोक सभा से और 1 राज्य सभा से को शामिल करके बोर्ड को मजबूत बनाया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि चूंकि विधेयक हमारी महिलाओं के बड़े वर्ग से संबंधित है तथा संसद सदस्य उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला संसद सदस्यों को हालांकि उन पर वैसे ही अधिक जिम्मेदारियां होती हैं बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 2 सदस्यों के अतिरिक्त 4 सदस्य राज्यों से भी लिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विधेयक में राज्यों से सदस्यों की नियुक्ति वर्णानुक्रम से करने का प्रावधान है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि यदि वर्णानुक्रम व्यवस्था का कठोरता से अनुपालन किया जाता है तो वे राज्य जो वर्णानुक्रम में सबसे नीचे आते हैं उन्हें बोर्ड में प्रतिनिधित्व सबसे बाद में मिलेगा तथा उनके विचार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा चाहे समस्या बड़ी विकट हो। अतः समिति ने निर्णय लिया कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 4 सदस्यों की वर्णानुक्रम

व्यवस्था का अनुसरण करने की बजाय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य वर्णानुक्रम में तथा 2 सदस्य विपरीत वर्णानुक्रम के अनुसार लिए जाएं। समिति ने तदनुसार संशोधन किया।

खंड—8

30. इस खंड में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान है। समिति महसूस करती है कि बोर्ड को थोड़ी ही समयावधि में विभिन्न राज्यों के विचार प्राप्त होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अन्य प्रतिनिधियों के 3 वर्ष की तुलना में जैसा कि विधेयक में विचार किया गया है। वर्ष रखा जाए।

खंड—14

31. इस खंड में केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताओं के बारे में प्रावधान है। समिति महसूस करती है कि वे व्यक्ति जो लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग तथा उसे प्रोत्साहन देने से संबद्ध रहे हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बोर्ड का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जाए। तदनुसार, समिति ने नए उपखंड (च) को शामिल करने का निर्णय लिया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के अयोग्य होना चाहिए, यदि वह केन्द्र सरकार के विचार में लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का प्रयोग अथवा प्रोत्साहन देने से संबद्ध रहा है।

खंड—16

32. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का एक कृत्य बालिका भ्रण-हत्या के विरुद्ध जन-चतेना पैदा करना बताया गया है। विधेयक का उद्देश्य प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस प्रथा को ही हतोत्साहित करना है। अतः समिति ने न केवल बालिका भ्रुण-हत्या की प्रथा के विरुद्ध ही, बल्कि मूलरूप से प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण, चाहे इससे बालिका भ्रूण-हत्या होती है अथवा नहीं के विरुद्ध जन-चेतना पैदा करने संबंधी संगत प्रावधान को बदल दिया है। इसलिए, "प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण" शब्दों को उपयुक्त स्थान पर जोड़ दिया गया है।

खंड—17

33. यह खण्ड ऐसे केन्द्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों के लिए विहित मानक लागू करने संबंधी रजिस्ट्रीकरण करने, आनुबांशिकी सलाह केन्द्र, आनुशिकी प्रयोगशाला, अथवा आनुबांशिकी क्लिनिक का रजिस्ट्रीकरण निलम्बित करने अथवा इसे रद्द करने अथवा ऐसे केन्द्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों के लिए विहित मानक लागू करने के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में परामर्श देने के लिए सलाहकार समितियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

उपखंड (1) और (2)

34. उप खण्ड (1) और (2) में वर्तमान विधेयक यह प्रावधान करता है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र/राज्यों आदि के लिए एक या अधिक "अधिकारियों" को समुचित अधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी। समिति यह महसूस करती है कि प्रसवपूर्व निदान लिंग निर्धारण संबंधी समस्या की गहनता, जिसमें बालिका भ्रुण हत्या की जाती है, को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों को इस तरह से संशोधित किया जाए कि राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के समूचे अथवा आंशिक भाग के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु वहां एक अथवा अधिक समुचित प्राधिकारी हों। अतः, समिति ने इन उपखण्डों में तदनुसार संशोधन कर दिया है।

उपखंड—(3)

35. इस उप खण्ड में वर्तमान प्रावधान में यह कहा गया है कि उप खण्ड (1) और (2) में अपेक्षित समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र, यथास्थिति के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के पद अथवा उससे ऊपर के पद का अधिकारी होगा। इस संबंध में समिति समझती है कि जिला स्तरीय अधिकारी में संयुक्त निदेशक अथवा उससे उच्च पद का अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा। अतः समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करने की अधिकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का संयुक्त निदेशक अथवा उससे उच्च पद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, यथा स्थिति, नियुक्त करना उचित समझे, के लिए खण्ड में संशोधन कर दिया है।

उप खंड (4)

36. इस उप खण्ड पर चर्चा करते हुए समिति ने महसूस किया है कि समुचित प्राधिकारी के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने, रजिस्ट्रीकरण आदि की शिकायत अथवा निलंबन अथवा रद्द करने संबंधी मामलों से संबंधित खण्ड 17 के उप खण्ड (5) के अंतर्गत गठित की गई सलाहकार समिति की सलाह ले और उस पर विचार करे। तदनुसार, समिति ने इस बात का प्रावधान करने के लिए इस उप खण्ड में एक नया उप खण्ड जोड़ दिया है।

उप खंड (5)

37. इस विधेयक में मौजूदा प्रावधान सलाहकार समिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कतिपय हित-वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देते। समिति का यह मत है कि इस सलाहकार समिति में एक बाल चिकित्सक , एक विधायी विशेषज्ञ और संबद्ध विभाग की जानकारी और प्रचार से संबद्ध एक अधिकारी भी होना चाहिए। समिति महसूस करती है कि चूंकि समुचित प्राधिकारी का मार्गदर्शन इस सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है, अतः सलाहकार

समिति के मत पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए इन हित-वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति ने एक यह प्रावधान शामिल करने का भी निर्णय किया है कि समिति के विचार विमर्श को निर्देशित करने और इसके विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सलाहकार समिति के एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा इसका सभापति नियुक्त किया जाना चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो लिंग निर्धारण हेतु प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों के इस्तेमाल अथवा इसके प्रोत्साहन से किसी प्रकार से सम्बद्ध न हों। इस उप-खण्ड को तदनुसार संशोधित कर दिया गया है। समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि सलाहकार समिति को उपयुक्त रूप से निर्धारित अन्तरालों पर बैठक करनी चाहिए जिसका नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि सलाहकार समिति उचित समय पर समुचित प्राधिकारी को उपयोगी सलाह दे सके। इस उप खण्ड को तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

खंड—18

38. यह खंड प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संपादन में लगे सभी अनुवांशिकी सलाह केन्द्रों आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवांशिकी क्लिनिकों के पंजीकरण का प्रबंध करता है। समिति महसूस करती है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से कार्य कर रहे आनुवंशिकी केन्द्रों आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवांशिकी क्लिनिकों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। समिति ने तदनुसार इस खंड के उप खंड (1), (3) और (4) में संशोधित किया है।

खंड—19

39. उपर्युक्त खंड 18 में यथा वर्णित शब्दों "पृथक रूप से अथवा को शामिल करने" के लिए उप खंड 1 में संशोधन किया गया है।

खंड—22

40. यह खंड अनुवांशिकी सलाह केन्द्र, प्रयोगशाला अथवा क्लीनिक द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकों से संबंधित विज्ञापनों के दिये जाने पर प्रतिबंध लगता है और उसके उल्लघंन के लिए दंड की भी व्यवस्था करता है। समिति ने उप खंड (1) में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया है कि किसी अनुवांशिकी सलाह केन्द्र, प्रयोगशाला अथवा क्लिनिक की तरफ से कार्य करने वाला कोई एजेंट भी इन उपबंधों के दायरों में आयेगा। अतः "नहीं" शब्द के बाद "व्यक्ति, संगठन" शब्द जोड़ गए हैं।

41. समिति का विचार है कि ऐसे लोगों को भी दंड दिया जाना चाहिए जो ऐसे विज्ञापन मुद्रित करते हैं। तदनुसार समिति ने इस खंड में नये उप खंड (2) का उपबंध किया है।

खंड—23

42. यह खंड अपराधों और शास्तियों का उपबंध करता है। समिति महसूस करती है कि किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, प्रयोगशाला अथवा क्लिनिक में नियुक्त सभी व्यक्तियों के बजाए केवल उन लोगों को इस विधेयक के शास्ति खंड की परिधि में लाया जाना चाहिए जो व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं।

खंड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

खंड—24

43. इस खंड में यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिकूल साबित न हो जाने तक न्यायालय यह मानकर चलेगा कि गर्भवती स्त्री को उसके पति या उसके रिश्तेदार ने प्रसवपूर्व निदान तकनीकी कराने के लिए विवश किया है और ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन अपराध के दुष्प्रेरण के लिए जिम्मेदार होगा।

44. समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया कि आज भारतीय महिला जिस सामाजिक स्थिति और विवशताओं में रह रही है उसे ध्यान में रखते हुए क्या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का सहारा लेने वाली गर्भवती महिला को इस प्रकार के दण्ड से मुक्त रखा जाना चाहिए। तथापि, समिति ने महसूस किया कि गर्भवती महिला के लिए ऐसे किसी दण्ड की व्यवस्था करना विधेयक के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। अतः समिति ने वर्तमान खंड में कोई संशोधन न करने और उसे यथावत रखने का निर्णय लिया।

खंड—28

45. यह खंड यह उपबंध करता है कि न्यायालय अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केवल समुचित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के परिवार पर अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के परिवाद पर जिसने कथित अपराध की बाबत और न्यायालय को परिवाद करने के अपने आशय की बाबत कम से कम साठ दिन की सूचना दी है, करेगा।

46. उप खंड (1) के खंड (ख) में समिति ने यह व्यवस्था करने के लिए मौजूदा उपबंध में विस्तार करने का निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति, "किसी भी सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति सहित" अपने परिवाद के आशय की सूचना न्यायालय को दे सकता है।

47. समिति ने यह भी महसूस किया है कि साठ दिनों की सूचना का मौजूदा उपबंध न्यायालय तक पहुंचने के लिए काफी अधिक है। अतः समिति ने इसे घटाकर तीस दिनों का करने का निर्णय लिया है। समिति ने खंड में तदनुसार संशोधन कर दिया है।

48. संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक को, यथा संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ
सभापति,
प्रसव पूर्व निदान तकनीक
(विनियमन और दुरुपयोग निवारण
विधेयक, 1991)

नई दिल्ली;
16 दिसम्बर, 1992

विमति टिप्पण

विभिन्न दलों, संगठनों और व्यक्तियों के साक्ष्यों को देखने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने पाया है कि अधिकांश मामले में प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों को सरकारी क्षेत्र तक ही समिति रखने की सिफारशि की है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हमारा इस विचार के साथ सहमत होना अवश्यक हो जाता है। हमारे में से ही कुछ एक ने यह सुझाव दिया था कि सरकारी क्षेत्र से बाहर की कुछ विशिष्ट शीर्ष संस्थाओं को ये परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

हमने यह भी पाया कि कुछ एक प्रक्रियाएं और तकनीकें आनुवांशिकी दोषों और असमानताओं का पता लगाने के लिए ही नहीं है बल्कि इनका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिये किया जाना है। तो भी उनका उपयोग प्रायः प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के लिए भी किया जाता है। अब तक इस कार्य में दुरुपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि अल्ट्रासोनोग्राफी है। चूंकि ये तकनीकें बहुत से अलग-अलग चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं, अतः विभिन्न प्रकार के आनुवांशिकी दोषों और विषमताओं का पता लगाने संबंधी परीक्षणों की भांति इन्हें सरकारी क्षेत्र तक ही समिति कर देना सम्भव नहीं है। तथापि पंजीकरण की कठोर पद्धति द्वारा इनके दुरूपयोग को रोक पाना सम्भव होगा।

विधेयक में जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा बताया गया है, अल्ट्रा-सोनोग्राफी उपस्करों आदि के पंजीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन्हें आनुवांशिकी परामर्श केन्द्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं अथवा आनुवांशिकी क्लिनिकों के उपस्करों में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता। हमें आशंका है कि इससे अधिनियम में कमी रह जाने की संभावना है जिससे अल्ट्रा-सोनोग्राफी तकनीक और उपस्करों का दुरूपयोग होगा। इसके साथ-साथ निजी क्षेत्रों में आनुवांशिकी क्लिनिकों प्रयोगशालाओं आदि के हाल ही में अत्यधिक संख्या में खोले जाने को देखते हुए जिसमें भारी वृद्धि मुख्य रूप से प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण की प्रक्रिया के उद्देश्य से हुई है, हम यह महसूस करते हैं कि आनुवांशिकी परीक्षण जिनका इस उद्देश्य हेतु दुरूपयोग किया जाता है और जिनका उपयोग किसी भी रूप में सीमित उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इन्हे एतिहाती उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित किया जाना चाहिए।

हम इन दो बातों पर अपना टिप्पण दर्ज कराना चाहती हैं और अनुरोध है कि इसे प्रतिवेदन में शामिल किया जाए।

ह०/-
श्रीमती गीता मुखर्जी (281 लोक सभा)

ह०/-
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

ह०/-
श्रीमती सरला माहेश्वरी

नई दिल्ली;
दिनांक 17 दिसम्बर, 1992

1991 का विधेयक संख्यांक 155

[दि प्रीनेटल डाइगनोस्टिक टेक्नीक्स (रेग्युलेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ मिसयूज) बिल, 1992 का हिन्दी अनुवाद]

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

(नीचे रेखांकित या पार्श्व रेखांकित शब्द उन संशोधनों के द्योतक हैं जिनका सुझाव समिति ने दिया है, तारांकित अंश लोपों के द्योतक हैं)

आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिनके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित प्राधिकारी" से धारा 17 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "आनुवंशिकी सलाह केन्द्र" से रोगियों को आनुवंशिक सलाह देने के लिए कोई संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(घ) "आनुवंशिकी क्लिनिक" से कोई क्लिनिक, संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं के संचालन के लिए प्रयोग में आता है, अभिप्रेत है;

(ङ) "आनुवंशिकी प्रयोगशाला" से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जहां आनुवंशिकी क्लिनिक से प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों का विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधाएं दी जाती हैं;

(च) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास स्त्रीरोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है;

(छ) "चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास प्रसवपूर्व निदान तकनीक के क्षेत्र में चिकित्सा आनुवंशिकी में कोई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र है या जिसे निम्नलिखित अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है,—

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई भी एक चिकित्सा अर्हता; या 1956 का 102

(ii) जैव विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ज) "बाल चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है;

(झ) "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया" से सभी स्त्रीरोग संबंधी या प्रसूति संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं, जैसे कि पराश्रव्य लेखन भ्रूणदर्शिकी, गर्भवती स्त्री के प्रसवपूर्व निदान परीक्षण का संपादन करने के लिए उल्ब-तरल, जरायु-अकुरिका, रक्त या किसी ऊतक को किसी आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में भेजने के लिए या निकालना, अभिप्रेत है; 1956 का 10

(ञ) "प्रसवपूर्व निदान तकनीक" के अन्तर्गत सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण हैं;

(ट) "प्रसवपूर्व निदान परीक्षण" से किसी गर्भवती स्त्री के उल्ब-तरल, जरायु-अंकुरिका, रक्त या किसी ऊतक का पराश्रव्य लेखन या कोई ऐसा परीक्षण या विश्लेषण अभिप्रेत है जो कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या जन्मजात विषमताओं या होमोग्लोबिन विकारों या लिंग संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है; 1956 का 102

(ढ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित विनियम अभिप्रेत है।

अध्याय 2

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(1) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से संबंधित क्रियाकलापों को संपादित नहीं करेगा या क्रियाकलापों के संपादित करने में सहबद्ध या सहायक नहीं होगा।

(2) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास विहित अर्हताएं नहीं हैं, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं कराएगा।

(3) कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपादन नहीं करेगा या संपादन नहीं कराएगा या उसके संपादन में सहायता नहीं करेगा।

अध्याय 3

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का विनियमन

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का विनियमन।

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही,—

(1) ऐसे किसी भी स्थान का, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक भी है, किसी व्यक्ति द्वारा, खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और खंड (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को पूरा करने के पश्चात् के सिवाय, प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का संपादन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उपयोग नहीं कराया जाएगा।

(2) कोई भी प्रसवपूर्व निदान तकनीक, निम्नलिखित असमानताओं में से किसी का पता लगाने के प्रयोजनों के सिवाय, संपादित नहीं की जाएगी, अर्थात्:—

(i) गुणसूत्री असमानताएं;

(ii) आनुवंशिकी मेटाबोली रोग;

(iii) हीमोग्लोबिन विकार;

(iv) लिंग संबंधी आनुवंशिकी रोग;

(v) जन्मजात विषमताएं;

(vi) ऐसी कोई अन्य असमानताएं या रोग जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) किसी भी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का प्रयोग या संपादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का यह समाधान नहीं हो जाता कि निम्नलिखित शर्तों में से किसी की पूर्ति की गई है अर्थात्:—

(i) गर्भवती स्त्री की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है;

(ii) गर्भवती स्त्री के दो या अधिक स्वतः प्रेरित गर्भपात या भ्रूण-हानि हुई है;

(iii) गर्भवती स्त्री प्रभाव्य विरूपकारी अभिकर्ताओं, जैसे कि औषधियों, विकिरण, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है;

(iv) गर्भवती स्त्री के कुटुम्ब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपता, जैसे कि संस्तम्भता या कोई अन्य आनुवंशिकी रोग का इतिवृत्त है;

(v) कोई अन्य शर्त जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) कोई भी व्यक्ति जो गर्भवती स्त्री का नातेदार या उसका पति है, खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय, उस पर किसी प्रसव-पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग नहीं कराएगा, न ही उसे प्रोत्साहित करेगा।

गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध।

5. (1) धारा 3 के खंड (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं का तब तक संपादन नहीं करेगा जब तक—

(क) उसने संबंधित गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात उप प्रभावों और पश्चात्वर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो;

(ख) उसने ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित सहमति ऐसी भाषा में, जो वह समझती है, विहित प्ररूप में अभिप्राप्त न कर ली हो; और

(ग) खंड (ख) के अधीन अभिप्राप्त उसकी लिखित सहमति की प्रति गर्भवती स्त्री को न दे दी हो।

(ख) प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं का संपादन करने वाला कोई व्यक्ति संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य रीति में भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा।

लिंग अवधारण का प्रतिषेध।

6. इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही,—

(क) कोई आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक किसी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का, जिसके अन्तर्गत भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ पराश्रव्य लेखन भी है, न तो अपने केन्द्र प्रयोगशाला या क्लिनिक में संपादन करेगा न ही संपादन कराएगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ किसी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का जिसके अन्तर्गत पराश्रव्य लेखन भी है, न तो संपादन करेगा और न ही संपादन कराएगा।

अध्याय 4

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए, एक बोर्ड का गठन करेगी, जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड कहलाएगा।

(2) यह बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जो पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा, महिला और बाल विकास तथा विधि और न्याय के भारसाधक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए दो पदेन सदस्य;

(घ) केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन;

(ङ) दस सदस्य, जिसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक से दो सदस्य नियुक्त किए जायेंगे;

(i) प्रख्यात चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ;
(ii) प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूतिरोग विशेषज्ञ;
(iii) प्रख्यात बालचिकित्सक;
(iv) प्रख्यात समाज वैज्ञानिक; और
(v) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि;

(च) तीन महिला संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित की जाएगी;

(छ) चार सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो वर्णानुक्रम में और दो उल्टे वर्णानु क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे;

परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की सिफारिश पर ही की जाएगी।

(ज) परिवार कल्याण का भारसाधक, केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न या उसके समतुल्य अधिकारी जो पदेन सदस्य सचिव होगा।

सदस्यों की पदावधि।

8. (1) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में, तीन वर्ष होगी; और

(ख) उक्त उपधारा के खंड (छ) के अधीन नियुक्ति की दशा में, एक वर्ष होगी।

(2) यदि किसी अन्य सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, चाहे वह उसकी मृत्यु, पदत्याग या रुग्णता अथवा अन्य असमर्थता के कारण अपने कृत्यों के निर्वहन में अयोग्यता के कारण होती है तो ऐसी रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे ऐसे नियुक्त किया गया है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो समयं-समय पर अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(4) सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

बोर्ड के अधिवेशन।

9. (1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं:

परन्तु बोर्ड का अधिवेशन छह माह में कम से कम एक बार होगा।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(4) ऐसे सभी प्रश्न जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य बोर्ड से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

10. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही निम्नलिखित कारणों से ही अविधिमान्य नहीं होगी:—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन।

11. (1) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए वांछा करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अपने साथ सहयोजित व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बोर्ड के अधिवेशन में मतदान का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में बोर्ड को समर्थ बनने के प्रयोजनार्थ, बोर्ड ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, उतने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को (चाहें प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझेः

परन्तु अधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग की नियुक्ति जिन्हें ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनाधीन होगी।

(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन।

13. बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गई सभी अन्य लिखते बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा या उसी रीति में इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

14. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्ह होगा यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) अननुमोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृतचित है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) उसे सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, लिंग के अवधारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के प्रयोग या उन्नयन में सहयुक्त रहा है।

पुनःनियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता।

15. सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं रहता है, ऐसे सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

बोर्ड के कृत्य।

16. बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(i) प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग से संबंधित नीति विषयक मामलों पर सरकार को सलाह देना;

(ii) अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना और उक्त अधिनियम और नियमों में परिवर्तन करने की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(iii) स्त्रीलिंगी भ्रूणवध की प्रभा के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा करना;

(iv) आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचरण संहिता अधिकथित करना; और

(v) कोई अन्य कृत्य, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 5

समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति

समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति।

17. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को, संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की समस्या की व्यापकता का, जिससे स्त्रीलिंग भ्रूणवध होता है, ध्यान रखते हुए, नियुक्त करेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारी,—

(क) संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाने पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक की या उससे उच्चतर पंक्ति के होंगे; और

(ख) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए नियुक्त किए जाने पर ऐसी अन्य पंक्ति के होंगे जो यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उचित समझे।

(4) समुचित प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर, निलंबित या रद्द करना;

(ख) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिक के लिए विहित मानक लागू करना;

(ग) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना और तत्काल कार्रवाई करना; और

(घ) रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों पर तथा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण की शिकायतों पर उपधारा (5) के अधीन गठित सलाहकार समिति की सलाह लेना और उस पर विचार करना।

(5) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति गठित करेगी और सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(6) सलाहकार समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूतिरोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक और चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञों में से तीन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ;

(ख) एक विधि विशेषज्ञ;

(ग) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के आसूचना और प्रसार से संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी;

(घ) तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधियों में से होगा।

(7) कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, लिंग के अवधारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के प्रयोग या उन्नयन में सहयुक्त रहा है, सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(8) सलाहकार समिति का अधिवेशन रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन पर या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के किसी परिवाद पर विचार करने के लिए और उस पर सलाह देने के लिए जब कभी वह उचित समझे या समुचित प्राधिकारी की प्रार्थना पर किया जा सकेगाः

परन्तु दो अधिवेशनों के बीच की अवधि विहित अवधि से अधिक नहीं होगी।

(9) ये निबंधन और शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी समिति द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 6

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं या आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण।

18. (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन पृथक्तः या संयुक्ततः सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(3) प्रत्येक आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, जो या तो भागतः या अनन्य रूप से इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व धारा 4 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों में सलाह देने या उनका संपादन कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(4) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जो प्रसवपूर्व निदान तकनीकों में सलाह देने या उनका संपादन करने में लगा हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर ऐसी किसी तकनीक में सलाह या उनका संपादन बन्द कर देगा जब तक कि ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और वह इस प्रकार पृथक्तः या संयुक्ततः रजिस्ट्रीकृत न हो या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(5) कोई आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक समुचित प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसे सुविधाएं प्रदान करने, ऐसे उपस्कर और स्तरमान बनाए रखने की स्थिति में है जैसे विहित किए जाएं।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

19. (1) समुचित प्राधिकारी जांच करने के पश्चात् और अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, और इस निमित्त सलाहकार समिति की सलाह का ध्यान रखते हुए, यथास्थिति, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को पृथक्तः या संयुक्ततः विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा।

(2) यदि जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और सलाहकार समिति की सलाह का ध्यान रखते हुए, समुचित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, तो वह रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नामंजूर कर देगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी रीति में और ऐसी कालावधि के पश्चात् तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपने कारबार के स्थान में किसी सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलम्बन।

20. (1) समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या परिवाद पर आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रगोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण, सूचना में वर्णित कारणों से निलम्बित या रद्द क्यों न कर दिया जाए।

(2) यदि आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और सलाहकार समिति की सलाह का ध्यान रखते हुए, समुचित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों में से किसी को भंग किया गया है तो वह किसी दांडिक कार्यवाही पर, जो वह ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के विरुद्ध कर सकता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके रजिस्ट्रीकरण को, उतनी अवधि के लिए, जितनी वह उचित समझे, निलम्बित कर सकेगा या, यथास्थिति, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी; यदि समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना जारी किए बिना किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

अपील।

21. आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित को विहित रीति में अपील कर सकेगा,—

(i) केन्द्रीय सरकार को, जहां वह अपील केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है; और

(ii) राज्य सरकार को, जहां वह अपील राज्य समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

प्रसवपूर्व लिंग अवधारण से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध और उल्लंघन के लिए दंड।

22. (1) कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में उपलभ्य प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की सुविधाओं के बारे में कोई विज्ञापन किसी भी रीति से जारी नहीं करेगा या जारी नहीं करवाएगा।

(2) कोई व्यक्ति या संगठन किसी आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में उपलभ्य प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की सुविधाओं के बारे में किसी रीति में कोई विज्ञापन प्रकाशित या वितरित नहीं करेगा या प्रकाशित या वितरित नहीं कराएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, आवेष्टक या अन्य दस्तावेज हैं और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस द्वारा किया गया कोई दृष्यरूपण, भी है।

अपराध और शास्तियां।

23. (1) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति, जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक का स्वामी है या ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में नियोजित है और अपनी वृत्तिक और तकनीकी सेवाएं, ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक को उसमें अपनी सेवाएं चाहे वे अवैतनिक आधार पर हों या अन्यथा, प्रदान करता है, और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध पर कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, जिसे उपधारा (1) के अधीन न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जिसके अंतर्गत उसके नाम का परिषद् के रजिस्टर से प्रथम अपराध के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए हटाना और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए सदा के लिए हटाना भी है, रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक या चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की, धारा (4) के खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री पर (जिसके अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है, जब तक कि वह ऐसी निदान तकनीक कराने के लिए विवश न की गई हो), प्रसवपूर्व निदान तकनीक या संपादन करने के लिए सहायता प्राप्त करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संपादन की दशा में उपधारणा।

1872 का 1

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय यह उपधारणा करेगा, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाएं, कि गर्भवती स्त्री अपने पति या नातेदार द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग कराने के लिए विवश की गई है और ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा।

अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है।

25. जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में अन्य कहीं भी किसी शास्ति का उपबंध नहीं है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

26. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सभ्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्याष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना।

27. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

28. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान—

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने विहित रीति में समुचित प्राधिकारी को अभिकथित अपराध की और न्यायालय में परिवाद करने के अपने आशय की कम से कम तीस दिन की सूचना दी है, किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" के अन्तर्गत सामाजिक संगठन है।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) जहां कोई परिवाद उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किया गया है वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर समुचित प्राधिकारी को, उसके कब्जे में सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अभिलेख रखना।

29. (1) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख, चार्ट, प्ररूप, रिपोर्टें, सहमति पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज, दो वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, परिरक्षित रखे जाएंगे:

परंतु, यदि किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के विरुद्ध कोई दाण्डिक या अन्य कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के अभिलेख और सभी अन्य दस्तावेज ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक परिरक्षित रखे जाएंगे।

(2) ऐसे सभी अभिलेख, सभी युक्तियुक्त समय पर समुचित प्राधिकारी को समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

अभिलेखों आदि की तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति।

30. (1) यदि समुचित प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस निमित्त उसके लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसे विहित किए जाएं, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसे आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में, ऐसी सहायता प्राप्त करके, यदि कोई हो, जैसी ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकेगा, और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, बही, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य तात्विक पदार्थ की समीक्षा कर सकेगा और उसे अभिगृहीत कर सकेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है।

1974 का 2

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यावत्शक्य, इस अधिनियम के अधीन ली गई प्रत्येक तलाशी का अभिग्रहण को लागू होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी या केन्द्रीय या राज्य सरकार या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

32. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(i) धारा 3 के खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताएं;

(ii) वह प्ररूप जिसमें गर्भवती स्त्री की धारा 5 के अधीन सहमति अभिप्राप्त की जानी है;

(iii) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(iv) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को अनुज्ञेय भत्ते;

(v) धारा 17 की उपधारा (8) के परंतुक के अधीन सलाहकार समिति के किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच के अवधि;

(vi) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी समिति द्वारा धारा 17 की उपधारा (9) के अधीन अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(vii) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उसके लिए संदेय फीस;

(viii) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, उपस्कर और उनके द्वारा बनाए रखे जाने वाले अन्य मानक;

(ix) वह प्ररूप जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(x) वह रीति जिसमें तथा वह कालावधि जिसके पश्चात् धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए संदेय फीस;

(xi) वह रीति जिसमें धारा 21 के अधीन अपील की जा सकेगी;

(xii) वह कालावधि जिस तक धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख, चार्ट आदि परिरक्षित रखे जाएंगे;

(xiii) वह रीति जिसमें दस्तावेज, अभिलेख, पदार्थ आदि का अभिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी तथा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या पदार्थ धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत किए गए थे;

(xiv) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

33. बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए बना सकेगा,—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान और ऐसे अधिवेशनों के कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उन सदस्यों की संख्या जिनसे मिलकर गणपूर्ति होगी;

(ख) वह रीति जिसमें कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयोजित किया जा सकेगा;

(ग) धारा 12 के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें और वेतनमान तथा भत्ते;

(घ) साधारणतः बोर्ड के कार्यकलापों का दक्ष संचालन।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

34. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हों जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट एक

(**देखिए** प्रतिवेदन का पैरा-2)

संयुक्त समिति को विधेयक भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि आनुवंशिकी अथवा मेटाबोलिक विकारों अथवा गुणसूत्रीय अपसामान्यताओं अथवा लिंग संबंधी कतिपय जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग के विनियमन और प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण, जिसमें बालिका भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके परिणामी मामलों के उद्देश्यों से ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग के निवारण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक को सभा की 22 सदस्यीय संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें निम्नलिखित 15 सदस्य इस सभा के होंगे:—

1. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती सरोज दुबे
4. श्रीमती गिरिजा देवी
5. डा० विश्वनाथम केनिथी
6. श्रीमती सुमित्रा महाजन
7. श्री के० आर० नारायणन
8. डा० कार्तिकेश्वर पात्र
9. डा० वसन्त पवार
10. डा० महाबीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल
11. श्रीमती गीता मुखर्जी
12. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम
13. श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ
14. कुमारी उमा भारती
15. कुमारी विमला वर्मा

तथा 7 राज्य सभा से होंगे।

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों सहित लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा इस संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

परिशिष्ट दो

(देखिए इस प्रतिवेदन का पैरा 3)

संयुक्त समिति को विधेयक भेजने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा आनुवंशिकी अथवा मेटाबोलिक विकारों अथवा गुण सूत्रीय असामान्यताओं अथवा लिंग संबंधी कतिपय जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग के विनियमन तथा प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण, जिसमें बालिका भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके परिणामी मामलों के उद्देश्य से ऐसे दुरुपयोग के निवारण का प्रावधान करने वाले विधेयक संबंधी सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हों तथा यह संकल्प करती है कि इस उक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सात सदस्यों को मनोनीत किया जाए:—

1. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
2. श्री वी॰ नारायणसामी
3. श्रीमती सत्या बहिन
4. श्री शारदा महन्ती
5. श्रीमती सरला महेश्वरी
6. कु॰ चन्द्रिका प्रेमजी केनिया
7. श्रीमती सुषमा स्वराज

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8)

उन संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं

1. श्री पी०के० उमाशंकर,
   निदेशक,
   भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
   इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,
   नई दिल्ली-110002

2. श्री ई०एस० लाला,
   एअर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त)
   महासचिव,
   फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया,
   बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट,
   बम्बई-400021

3. श्री सुरेश प्रसाद साहा, प्रिंसिपल
   सुमंगल कन्वेंट,
   3 पंचतला रोड़,
   रामलक्ष्मी बस्ती लेन,
   जंगतदल नार्थ 24 परगना-743194

4. श्री पी०जी० रामचन्द्रन,
   कार्यकारी सचिव,
   सदस्य, शासी निकाय
   पाप्युलेशन सर्विसिज इन्टरनैशनल,
   नई दिल्ली-110065

5. श्री लोपा बनर्जी,
   सहेली,
   दुकान 105-106 के ऊपर,
   शापिंग कम्पलैक्स
   डिफेंस कालोनी फ्लाईओवर के नीचे
   साऊथ साइड—नई दिल्ली-110024

6. डा० (कुमारी) वी०एन० खरे,
   ए-701, कावेरी अपार्टमेंन्टस,
   अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019

7. श्री हरीश खन्ना,
   कार्यकारी निदेशक,
   फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन,
   बी-28, कुतुब इस्टिट्यूश्नल एरिया,
   तारा क्रिसैंट, नई दिल्ली-110016

8. फारम अगेंस्ट आप्रेशन आफ वूमैन,
   कुंडा कदम, 120, साफल्या करी रोड,
   बम्बई-400013

9. फारम अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड
सेक्स प्री-सलेक्शन,
मार्फ्त वूमन्स केअर,
वी-104, सनराइज आएस,
कैनरा बैंक के ऊपर
वकोला, सांता क्रूज(ई)
बम्बई-400055

10. प्रेसीडेंट,
एसोसिएशन आफ सपोर्टस आफ सिलेक्टिव
सेक्स डिटरमिनेशन,
14/1, ओल्ड राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली

11 डा॰ (श्रीमती) एस॰ प्रेमिला,
एम/डी, डी॰जी॰ओ॰
एमएनएएमएस; प्रसूति विज्ञान और
स्त्री रोग विज्ञान की प्रोफेसर, मद्रास
मेडिकल कॉलेज, मद्रास-8

12. प्रेसीडेंट,
एक्जीक्यूटिव कमेटी मैंबर्स आफ
नार्थ इस्ट रीजन कैथोलिक महिला संघ,
प्रभात विला, गांधीनगर (साउथ)
हजारी बाग-825301, बिहार

13. डा॰ रेणुका पामेचा,
सचिव,
राजस्थान यूनिवर्सिटी वूमन्स एसोसिएशन,
बी-182, ए मंगल मार्ग
बापू नगर, जयपुर-15

14. डा॰ एच॰ एम॰ साइमन,
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, आर॰बी॰एम॰
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एवं फैमिली वेलफेयर,
न्यू मेहरौली रोड़, मुनीरका,
नई दिल्ली-110067

15. स्त्री कृति,
मार्फ्त, 12 अमिरानी मैंशन
एम॰एम॰ चौटानी रोड़,
महिम (वेस्ट)
मुम्बई-400016

16. डा॰ वी॰ साम्बा मूर्ति,
मानद अधीक्षक,
दुर्गाबाई देशमुख हास्पिटल
महिला सभा बिल्डिंग्स,
यूनिवर्सिटी रोड़,
हैदराबाद-500044

17. कुमारी ज्योत्सना चटर्जी,
एसोसिएट डायरेक्टर,
ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम,
सी आई एस आर एस हाऊस,
14, जंगपुरा बी, मथुरा रोड,
नई दिल्ली-14

18. कुमारी मेरी खेमचन्द्र,
नेशनल प्रेसीडेंट,
यंग वूमन्स क्रिस्चन एसोशिएशन आफ इंडिया,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

19. प्रो॰ जे॰एन॰ नारोन,
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग,
पटना मेडिकल कालेज, 6/बी, राजेन्द्र नगर,
पटना-800016, बिहार

20. डा॰ सी॰एस॰ डॉन,
नेशनल एसोंसिएशन फार वालेंटरी
स्टर्लाइजेशन एंड फेमिली वेलफेयर आफ इंडिया,
25 बी, सी॰आई॰टी॰ रोड, कलकत्ता-700014

21. श्रीमती विद्याबेन शाह,
अध्यक्ष,
भारतीय बाल कल्याण परिषद,
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002

22. श्री विजय कुमार देव,
समाहर्ता, दमण
दमण एवं द्वीप प्रशासन,
समाहर्तालय, दमण

23. डा॰ बद्री एन॰ सक्सेना,
वरिष्ठ उप-महा निदेशक,
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

24. डा॰ कुमुद शर्मा,
निदेशक,
महिला विकास अध्ययन केन्द्र,
बी-43, पंचशील एंकलेव, नई दिल्ली-110017

25. डा॰ (श्रीमती) बी॰ चड्ढा,
प्रमुख, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग,
कस्तूरबा अस्पताल,
दरियागंज, नई दिल्ली-2

26. कुमारी तारा रेड्डी,
महा सचिव,
भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ,
1002, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

27. डा॰ एस॰ के॰ दास,
वरिष्ठ स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ,
सफ्दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

28. श्री एम॰ एल॰ गुलाटी,
वाइस-चैयरमैन,
पूर्वी दिल्ली प्रगतिशील नागरिक परिषद,
जी-1/1130, मानसरोवर पार्क,
शाहदरा, दिल्ली-110032

29. डा॰ टी॰के॰ मोहनलक्ष्मी,
सेंटर आफ एक्सीलेंस इन स्टर्लाइजेशन एंड रिकेनालाइजेशन
माइक्रो-सर्जरी ट्रेनिंग कम सर्विस सेंटर, दक्षिणी क्षेत्र
मद्रास-600010

30. डा॰ सविता टुटेजा,
एम॰डी॰; एफ ए एम एस, 14 साधना एन्कलेव,
नई दिल्ली-110017

31. कुमारी जयन्ती सेन,
संयुक्त सचिव, सचेतना, 31 महानिर्वाण रोड,
कलकत्ता-700029

32. डा॰ कुमार कुलकर्णी,
संजीवनी नर्सिंग होम, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
ग्वालियर-474001

33. आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग,
हरियाणा

34. प्रो॰ एलिस जेकब,
निदेशक,
भारतीय विधि संस्थान, भगवान दास रोड़,
नई दिल्ली-110001

35. श्रीमती ऊषा आहूजा,
अध्यक्ष,
नारी रक्षा समिति, राजनिवास मार्ग,
सिविल लाइंस, दिल्ली

36. डा॰ (श्रीमती) पुष्पा चन्द्रा,
एम॰डी॰ (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञा, सी-42, मेफेयर गार्डन्स
हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016

37. डा॰ पुलोमा शाह,
विज्ञान प्रकाश,
5/6, सी आर आर आई स्टाफ क्वाटर्स,
महारानी बाग, नई दिल्ली-65

38. सुश्री ऊषा वर्मा,
अध्यक्ष,
महिला कानूनी सहायता केन्द्र (पंजीकृत) सी-160, दयानंद कालोनी
लाजपत नगर-चार, नई दिल्ली-110024

39. डा० नरेन्द्र कुमार, प्रयास,
ग्राम देवगढ़ (दियोला) वाया-प्रतापगढ़, जिला चितौड़गढ़, राजस्थान

40. डा० एफ० एक्स० मृणालिनी
मुख्य कार्यकर्ता, सी डी ए डब्ल्यू एस,
1729, पांचवी गली, ''आई'' ब्लाक 18 वीं मुख्य सड़क
पश्चिमी अन्नानगर, मद्रास-600040

41. कुमारी रामीला वैतत,
श्रमजीवी समाज,
ताल्लुक पंचायत कार्यालय के सामने, भिलोदा, साबरकन्ठा,
पिन-383245

42. सुश्री दीपा मार्टिना तंजीद,
महिला समूह, अजमेर, के-72, क्रिश्चियन गंज, अजमेर

43. सुश्री वर्षा भगत,
सामाजिक जानकारी और कार्यवाही केन्द्र, 6, निहारिका,
हिम्मतलाल पार्क के सामने अहमदाबाद-380015

44. डा० मल्लिका साराभाई,
अभिनेय कला संबंधी दर्पण अकादमी,
अहमदाबाद-380013, गुजरात

45. सचिव,
बाल रश्मि संस्था,
ए-48, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004

46. प्रो० शैला लोहिया,
मानस्विनी महिला प्रकल्प, कार्यालयः धधपद, सैगौन रोड,
अम्बाजोगाई-431217

47. संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य मंत्रालय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य शाखा-चार, पंजाब सरकार

48. सुश्री नमिता भट्ट, सचिव,
गुजरात स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ,
21, निर्माण संस्था,
अल्कापुरी, बड़ौदा-390005

49. डा० संतोष गोइन्दी,
सचिव, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास,
कस्तूरबा ग्राम,
इंदौर (मध्य प्रदेश)

50. डा० अनु गुप्ता,
मध्य प्रदेश महिला मंच,
41/1 राधा गंज, देवास-435001

51. डा० बी०एन० द्विवेदी,
अध्यक्ष,
ज्ञान भारती महिला एवं बाल विकास परिषद्,
गोपाल गंज, ओरई-286001, उत्तर प्रदेश

52. डा॰ कर्षण परमार,
श्रमजीवी समाज ट्रस्ट,
ताल्लुक पंचायत कार्यालय के सामने भिलोदा, साबरकंठा,
पिन-383245, गुजरात

53. सुश्री शीला जार्ज,
संयोजक,
संचेतना, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केन्द्र,
बी-83, अशोक नगर, आई॰ एस॰ आर॰ ओ॰ के समीप, अहमदाबाद-380015

54. श्री कृष्ण लाल अग्रवाल,
अग्रवाल खेतान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंटस,
32, बी॰ बी॰ डी॰ बेग, (दक्षिण), कलकत्ता-700001

55. श्री सुरेश प्रसाद शाहा,
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय,
भारतीय मजदूर संघ, 10, के॰ एस॰ राय रोड,
कलकत्ता-700001

56. श्री ए॰ एम॰ बनर्जी,
443, टाइप-पांच
ओ॰ एफ॰ इस्टेट, इटारसी (मध्य प्रदेश)
पिन-461122

57. श्री प्रदीप नायक,
चार्टर्ड एकाउंटेंट,
आशीर्वाद, शहर कोतवाली के पीछे, सतना, मध्य प्रदेश

58. श्रीमती जेना आर॰ कैलब,
सचिव, वूमन फैलोशिप, सैंट जौन्स चर्च, डलहौजी

59. श्री सजीवम इ॰ बी॰
एस॰ एम॰ जी॰ बी॰, बैंगल-679338
वाया-कोलाथुर, मालापुरम जिला, केरल

60. श्री एच॰ आर॰ सैनी,
अम्बा मार्किट, अम्बाला शहर,
हरियाणा

61. श्री एन॰ वी॰ घोडे,
सोनोशी, डाकघरः ताकेड बुडरूक,
जिला-नासिक, महाराष्ट्र

62. श्री अपारिश बनर्जी,
सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
109/19 बाबाजीटोला स्ट्रीट,
बरहामपुर-760001, उड़ीसा

63. श्री पवन कुमार सिंघल,
वाइस-प्रेजीडेंट
ब्लाक युवा कांग्रेस (इ)
कोटकापुरा, जिला फरीदकोट, पंजाब

64. श्री दीनानाथ मल्होत्रा
भीमा बस्ती, फतेहाबाद

65. श्री जगदीश गुंप्ता,
कपिल मशीनरी स्टोर, जीन्द

66. *

67. *

68. डा० बी० आर० अग्रवाल,
चिकित्सा अधिकारी,
लायंन्स क्लब औषधालय, दातावाडी, पुणे-411031

69. सुश्री कमलेश

70. *

71. श्री नागर मल अग्रवाल,
381, बेलीलियस रोड, हावड़ा

72. श्री रामतीर्थ अग्रवाल,
पुनर्वास विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एफ-3, अंसारी नगर,
नई दिल्ली

73. श्री सोमनाथ,
मुख्य बाजार, पटना

74. श्री गोवर्धन जी० खेतान,
16/252, आदर्श नगर, वर्ली, बम्बई-400025

75. पी० के० राय कालेज,
धनबाद

76. श्री राज कुमार,
पी० के० राय कालेज, धनबाद

77. श्री रंजीत चन्द्र "अशान्त"
एस आई आई ए-22,
ऊंचा तारा, पठानकोट

78. डा० गोवर्धन दास ठाकुर,
167 सिंधी कालोनी,
बानी पार्क, जयपुर

79. श्री रमेश चन्द्र बेथवाल,
ए-55/56, हस्तिनापुर,
मेरठ-250404

80. श्री राजीव चन्द्र शर्मा,
प्रधानाचार्य, वाणिज्य विभाग,
एस० डी० कॉलेज, अम्बाला कैन्ट,
हरियाणा-133001

81. श्री विश्व बंधु जोशी, रमेश चन्द्र कांडपाल
बी० एस० सी० (टी०जी०टी०)
कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर,
अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

82. श्री एन० के० भारद्वाज,
इन्द्रपुरी, लोनी,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

83. श्री एस० पी० अरोड़ा,
ए/183/1, अशोक विहार,
दिल्ली-52

84. *

85. श्री प्रेम चन्द शर्मा
भूतपूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत, बराड़ा
गांव लालयार, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

86. श्री प्रभु दयाल

87. सुनीता शर्मा एवं अन्य,
करनाल, हरियाणा

88. श्री चन्द्रभान साहु,
गंडामाला नैशनल टाकीज के पीछे,
मकान संख्या 980,
कासगंज, जिला ऐटा,
उत्तर प्रदेश

89. श्री त्रिलोकी नाथ मित्तल,
भूमि तथा जल परीक्षण प्रयोगशाला,
कृषि विभाग, हरियाणा,
सिरसा-125055

90. श्री राम तीरथ गुप्ता, बी० ए०, एल० एल० बी०,
मेन बाजार, तलवन्ती भाई,
जिला-फिरोजपुर, पंजाब,
पिन-142050

91. श्री विमल प्रसाद,
क्वाटर संख्या 22, गांधी रोड,
पटना

92. श्री अमरजीत सिंह कुकरेजा, कपड़ेंवाला,
चोमन संख्या 3, चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

93. श्री जीवन कुमार मित्तल, सी० ए०,
83, अशोक अपार्टमेंट,
ए-2, पश्चिम विहार,
दिल्ली-110063

94. चौ० गोविंद राव,
डी० संख्या 45-47-49/4,
मोती गार्डन्स,
अककयापलेम,
विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
पिन-531116

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

95. श्री आर० के० साहा,
जे०-1886, चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली-110019

96. रोनाल्ड विनय कुमार,
बाइबल हाऊस,
10, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

97. श्रीमती ए० सी० कृष्णा राव,
उपाध्यक्ष,
स्त्री सेवा मंदिर,
'साबरमती', कावेरी रंगा नगर,
सालीग्राम्म, मद्रास-93

98. श्री निलेश पी० रांन,
53, शांतिनिकेतन,
अणुशक्ति नगर, मुम्बई

99. नायक/जयकुमार द्विवेदी,
63, इंजिनियर रेजीमैंट
मार्फ़त 99 ए०पी०ओ०

100. श्री राजेश एम० वाजगे,
जी-214/हाल 4,
आई०आई०टी०,
कानपुर-208016

101. श्री के० अशोकन,
संख्या 11, समयापुर थामन कोइल स्ट्रीट,
चुलैमेडु, मद्रास-60094

102. श्री अमरनाथ भल्ला,
1139, महमूदपुरा, लुधियाना-141008

103. कुमारी प्रोमीला काश्यप,
मकान संख्या सी-349, गली संख्या 16,
भजनपुरा, दिल्ली-53

104. लैफ्टीनैंट कर्नल जे० एस० मनचंदा,
साकेत, नई दिल्ली

105. श्री राम फल अग्रवाल,
मैसर्स गणेश किरयाणा स्टोर,
मेन चौक, चीका
पिन-132034

106. श्री संजीव कुमार, मुखर्जी,
डाकघर-हीरापुर, जिला-धनबाद,
पिन-826001

107. श्री मनोज कुमार जैन,
बेल वारी रोड,
चिरकेन्डा,
जिला-धनबाद

108. श्री रामचन्द्र सोनी,
तेह बाजार, 134-135,
श्री गंगा नगर,
राजस्थान

109. श्री श्याम सुन्दर शर्मा,
कटरा बाजार,
डाक कटरारू बाजार,
जिला-धनबाद, बिहार

110. श्री रामरत्तन जिंदल,
गोहाना

111. श्री किशोरे एस॰ कालियानपुर,
672, ओ॰टी॰सी॰ रोड क्रास,
बंगलौर-560053

112. श्री आदित्य कुमार,
8/6, आर्य नगर, जी॰टी॰ रोड,
अलीगढ़-202001

113. श्री प्रदीप कुमार,
गुड़गांव, हरियाणा

114. डा॰ सचिन्द्र कानोडिया,
एम॰बी॰बी॰एस॰,
1-3, हलवासिया रोड,
कलकत्ता-700007

115. श्री राम नरेश,
डब्ल्यू जैड-11 सी केशोपुर,
नई दिल्ली-110018

116. *

117. सुश्री इन्दू एवं अन्य
ऋषिकेश

118. श्री देवजानी चक्रवर्ती,
बेला नगर,
कलकत्ता-12

119. श्री ए॰ भगवत,
11, छैतराली, 7वीं लेन,
प्रभात रोड, पुणे—411007

120. श्रीमती मीनासी सोलंकी,
7, रीवर साइड अपार्टमेंट,
411, डा॰ बैजनाथ रोड,
न्यू हैदराबाद,
लखनऊ—7

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

121. श्री राम चन्द्र,
मकान संख्या 354,
बरवाली गढ़ी,
हिसार (हरियाणा)

122. डा॰ एस॰ के॰ गुप्ता एवं अन्य,
102, सैक्टर 16,
पंचकुला, हरियाणा—134109

123. कमांडर नोइल लोबो,
623, के॰ पी॰ टावर 2,
फातिमा नगर,
पुणे—411013

124. श्री हरिराम शर्मा, एम॰ए॰ बी॰एड॰
सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक,
1263/10, पंचकुला, हरियाणा

125. संजय कुमार श्रीवास्तव,
डाकघर तथा जिला, अराह,
बिहार

126. श्री मनोज कुमार जैन,
डाकघर दुमाका,
जिला देवगढ़

127.*

128. श्री एस॰एन॰ नन्दगावे,
फ्लैट सं॰ बी॰-901, नौंवी मंजिल,
उषा नगर, मनदुप (पश्चिम),
मुम्बई—400078

129. श्री सतीश कन्सल,
स्टेट बैंक आफ पटियाला,
सोलन, हिमाचल प्रदेश

130. श्री राकेश आहुजा,
40-ए, कैनेडी एवेन्यू,
अमृतसर, पंजाब

131. श्री देशबन्धु गुप्त,
श्री बारसने नवयुवक मण्डल,
सरायतरीन,
मुरादाबाद, उ॰प्र॰

132. डा॰ देशबन्धु आर्य,
अध्यक्ष,
प्रतिभाशाली लेखक मंच,
सराइतरीन—244303
जिला मुरादाबाद, उ॰प्र॰

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

133. श्री के० कुल शेखर,
शेखर स्ट्रीट,
ऐलुरू—534002,
आन्ध्र प्रदेश

134. रूबी चौधरी, बी० काम०,
जाब स्टूडेंट,
इन्स्टीट्यूट आफ चाटर्ड एकाऊन्टैंट आफ इन्डिया,
21/बी० गोविन्दों घोषल लेन,
कलकत्ता—700025

135. श्रीमती कंचन लता "सुरेन्द्र"
लक्ष्मी मैडिकल हाल,
कृष्णा दरारा,
पानीपत, हरियाणा, पिन—132103

136.*

137. श्री के० एल० भोरा,
एन० एन० रोड, कूच बिहार, पिन—736101

138. श्री पी० ए० के० सेमुअल
सौरभ इन्टरनेशनल,
बी०—17, जलडा, आर० बी० आई० आफिसर्स क्वार्टर्स,
प्रभादेवी, मुम्बई—400025

139. श्री एस० चड्ढा,
शास्त्री नगर, दिल्ली।

140.*

141. सुश्री कान्ता रानी एवं अन्य

142. सुश्री निर्मला
79/4ए, डी आई जैड एरिया,
काली-बाड़ी, सैक्टर-2, नई दिल्ली

143. श्रीमती पुष्पा,
मार्फत चरण सिंह,
226, नारायणपुरा,
पालम गांव, नई दिल्ली

144. श्री अनिल कुमार गुप्ता,
64/51, द माल,
कानपुर—208001

145. श्री सी० एल० कोमेन,
अध्यक्ष,
प्रोग्रेसिव, करिक्यूलम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
डाकघर बाक्स 3610, अमन कोवील रोड, अर्नाकुलम,
कोचीन—682035 (केरल)

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

146. डा० के० आर० बालासुब्रहमण्यम, एम० एस० (आर्थो)
निदेशक, कार्तिक नर्सिंग होम,
आई०—एस०के०सी० रोड,
इरोड-638009,
तमिलनाडु

147. श्री एम० जैड० चिडा,
पो० ओ० बाक्स सं० 2625,
गुइन्डी, मद्रास—600032

148. सुश्री सरोज पी० शाह,
अवैतनिक सचिव, मुम्बई ब्रांच,
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन,
सावित्री सदन, 12वां एन० एस० रोड
जे० वी० पी० डी० स्कीम, मुम्बई-400049

149. डा० (श्रीमती) पुष्पा पोरवाल,
डा० पोरवाल नर्सिंग होम,
ब्यावर रोड, अजमेर—308001

150. श्री वी० बैंजामिन,
ड्रग एक्शन फोरम,
57, "सोनी", तेजस्वीनगर,
धारवाड़-580002,
कर्नाटक

151. श्रीमती वनजा रामप्रसाद,
फोरम फार वूमन्स हैल्थ,
839, 23वां मेन, जे० पी० नगर,
दूसरा फेस, बंगलौर—560078

152. एलिजाबेथ विलियम एवं अन्य,
प्रवक्ता, रसायन शास्त्र,
अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ,
स्वस्ति सैक्रेड हर्ट कालेज,
थेवारा, कोची—682013

153. श्री एस० सी० तलवार, कर्नल ए० डी० एम० एस०
मुख्यालय, 17 माऊन्टेन डिवीजन,
मार्फत 99 ए पी ओ

154. सुश्री नीलमा निम्बाजी आहेर,
और डाक खाना देवला, कालवां,
155. जिला नासिक—423102

156. सुश्री राजराजेश्वरी एवं अन्य 45-सी,
पाकेट जे/सी, मायापुरी, नई दिल्ली

157. श्रीमती छोटी, पत्नी श्री राम लाल,
मकान नं० 168, ए-ब्लाक,
इन्द्रपुरी, नई दिल्ली

158.*

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

159. श्री विमल कुमार,
आर॰ एस॰ मोरे कालेज,
गोविंदपुर, धनबाद, बिहार

160. मीनू कुमारी,
एस॰एस॰एल॰एम॰टी॰ कालेज,
धनबाद, बिहार

161. श्री निर्मल कुमार,
के॰एस॰जी॰एम॰ कालेज,
निरसा, बिहार

162. श्री मनोरंजन,
पालिटैक्नीक, धनबाद-826001

163. श्री नरेश कुमार चड्ढा,
नौ-1579, मेन रोड,
गांधी नगर, दिल्ली-110031

164. श्री मुनीश सिसोदिया,
सेज होस्टल इंजिनियरिंग, केनाल रोड, जम्मू तवी—180001

165. श्री बसंत कुमार मिश्रा,
डाक घर-बेजुनिया, उत्तर प्रदेश

166. श्री के॰ श्रीनिवास,
62, 7वां मेन रोड,
दूसरा ब्लाक, जयानगर, बंगलौर

167. श्री प्रदीप डूगर,
चार्टर्ड लेखाकार,
58, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700068

168. श्री सहदेव मिश्रा,
जी—349, सेक्टर-6, राऊरकेला—769002

169. श्रीमती किरण सोनी,
सदर बाजार, मेरठ, उत्तर प्रदेश

170. श्री अमरनाथ सुशील,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

171. श्री सच्चिदानंद मिश्रा, एल॰एल॰बी॰
संयुक्त सचिव (सेवा निवृत्त)
पुराना डाकघर गली,
चत्रापुर—761020

172. श्री अनिरुद्ध,
नई बस्ती, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

173. श्री श्याम सुंदर सिंह एवं अन्य,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

174. श्री वी॰ सुंदर, प्रिंसीपल,
सी॰बी॰एम॰ स्कूल,
धर्मपुरी—636703

175. डा॰ दिनेश कुमार जैन,
आनन्द निवास, जतर गली, लस्कर,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

176. श्रीमती विमला बी॰ मडकरनी,
टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल लाईंसेस,
पोस्ट बाक्स संख्या 8313, सियोन-ट्राम्बे रोड,
देयोनार, मुम्बई,—400088

177. डा॰ मृदुला कोठारी, अवैतनिक सचिव,
श्रद्धानंद महिला आश्रम, श्रद्धांनद रोड, किंग्स सर्कल,
मटुंगा, मुम्बई,—400019

178. महिला समूह,
अजमेर, राजस्थान

179.*

180. श्री के॰ एन॰ वेन्कटागिरी राव, सचिव
बालाकेड्रारा वेडिके,
25/29, विनोबा नगर,
सागर-577401,
कर्नाटक

181. श्री बी॰ एन॰ सिंह,
क्वाटर संख्या 3सी/327, बोकारो स्टील सिटी,
धनबाद, बिहार

182. श्री कुन्दन सिंह

183. नारी पुनर्वास समूह,
बी-118, मंगल मार्ग, जयपुर

184. सदस्य, लिंग निर्धारण विरोधी फोरम,
2 गांधी बाग, अहमदाबाद-380006

185. श्री ए॰के॰ झा,
डाकघर-दामोदरपुर, जिला धनबाद,
पिन—826001

186. कुमारी प्रेमवती

187. सुश्री गायत्री हजारिका, अध्यक्ष,
मिताली संघा,
हिदायतपुर, गुवाहाटी—781003

188. श्री वी॰ सम्बाशिवम,
37, राजेश्वरी रोड़, मेठा नगर,
मद्रास—600029

189. डा॰ (ले॰ कर्नल) एम॰ आर॰ दत्ता,
एम-30, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1
मेन रोड, बस टर्मिनल के पास,
नई दिल्ली—110048

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

190. सुश्री नीलिमा जैन,
शांतिपुर, नाडया

191. श्री एस॰ एस॰ कालरा,
सुलतानी हरियाणा, पंचरंगा बाजार,
पानीपत—132103

192.*

193.*

194. श्री एस॰ रामलिंगम,
8/2, डाकघर रोड, कृष्णा नगर,
बेल्लोर-1 (एन॰ए॰ए॰ डिस्ट)
तमिलनाडु

195.*

196. श्री राजगन,
वीरभूम, पश्चिम बंगाल

197. श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा,
गिरीडीह, हजारीबाग, बिहार

198. श्री विमल कुमार मंडल,
गांव पोलटीहारिक,
धनबाद, बिहार

199. श्री लक्ष्मण सिंह ढिंडोरिया,
आर॰डी॰ नगर, चरखी दादरी,
जिला भिवानी

200. सुश्री सुषमा,
170, सिविल लाइंस,
रामपुर, उत्तर प्रदेश

201. श्री टी॰ आर॰ प्रेम कुमार एवं अन्य
ग्राम स्वराज, पुझीकुहम
डाकघर-कुमासेरी, अलुवा-683579

202. टोमी, वर्गीस,
कम्प्यूटर इंजीनियर, गणेश विहार,
बी॰ जी॰ स्कूल रोड, मंगलौर-575003

203. डा॰ के॰ एस॰ एम॰ कोया,
निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं,
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
लक्षद्वीप, कवारत्ती

204.*

205. श्रीमती शुक्ता विश्वास,
22, रविन्द्र सारिनी,
डाकघर-बहरामपुर,
पश्चिमी बंगाल

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

206. श्री राजेन्द्र गोयल,
एवरेस्ट क्लब, उचाना,
जिला जींद, हरियाणा-126115

207. श्री आनन्द कुमार झुनझुनवाला, एडवोकेट
मेन रोड, पुरुलिया-723101
पश्चिमी बंगाल

208. श्री सुरेश चन्द्र सिंह
नाग नगर, जिला जमशेदपुर-363001

209.*

210. संयुक्त सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार
स्वाय और परिवार कल्याण विभाग,
परिवार कल्याण शाखा, सी॰ आई॰ टी॰ (एनेक्सी) बिल्डिंग,
4वीं मंजिल, पी-16, इंडिया एक्सचेंज प्लेस एक्सटेंशन,
कलकत्ता-73

211. श्री बिमल कुमार रोय,
खजान्वी रोड, पटना

212.*

213.*

214.*

215. श्री जॉय बनरही,
नालहेट, वीरभूम

216. सुश्री गीता देवी,
प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, प्रेम,
सूर्यनगर, वाणिज्यिक कर कार्यालय के सामने,
बहरामपुर

217.*

218. पूनम देवी,
गया, बिहार

219.*

220. बाला मोहन,
सिडरी, धनबाद, बिहार

221. श्री अजय बोस
कारकंड, धनबाद,
बिहार

222. सुश्री सलमा बेगम, गोआ बगान,
24 परगना, पं॰ बंगाल

223. सुश्री कलपना मंडल,
गोबिन्दपुर, धनबाद, बिहार

224. सुश्री सोमा चक्रवोर्ती,
धनबाद, बिहार

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

225. सुश्री बीना गुप्ता,
अहिरन, मुर्शीदाबाद, प० बंगाल,

226. श्री अमरिन्दो बिसबास,
मुराई,
बीरभूम, प० बंगाल

227. डा० विजय शर्मा,
प्रेजीडेन्ट हैल्थ केयर आर्गेनाइजेशन (इण्डिया)
एच०ओ० 10/10, चक्रवर्ती स्ट्रीट,
कुरुक्षेत्र-132118

228. श्री पुलक बनर्जी
गांधी नगर,
धनबाद, बिहार

229. श्री सौनाली सिंह,
तुलसी पुर,
मोती कालोनी,
कटक-8

230. श्री नारायन मंघी
गांव मौहुदा
जिला बोकर्ड

231. डा० के०एन० चन्द्रशेखरन पिल्लै,
प्रोफेसर, विधि विभाग,
कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी,
कोचीन-682022

232. संयुक्त सचिव,
पश्चिम बंगाल सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
कलकत्ता-700073

233. श्री अरिआने लोइनिंग
पोस्ट बाक्स सं० 16294
सावत बोस मार्ग, डाकघर,
कलकत्ता—700029

234. श्री जवाहर लाल साहा,
शिवहर,
जिला सीतामढ़ी,
बिहार—843329

235. श्री आर०आर० सिंह,
प्रोफेसर,
सामाजिक कार्य विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
3 विश्वविद्यालय मार्ग, दिल्ली-110007

236. श्री बाल मुकुन्दर द्विवेदी,
आजाद नगर, सिविल लाइन्स,
गौन्डा, उ०प्र०

237.
और
238. डा० (श्रीमती) के० लक्ष्मी रघु रामैय्या,
7, हैरिंगटन मार्ग,
14 एवेन्यू चेतपुर,
मद्रास-600031

239. श्री पृथ्वी राय,
34, रमन एवेन्यू,
अमृतसर, पंजाब

240. श्रीमती सविता घोष,
गांव बतरा,
डाकखाना बी० बतरा,
जिला बीरभूम,

241. कुमारी रानी जेठमलानी,
ऐडवोकेट (सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया)
एक्सप्रेस बिल्डिंग,
9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

242. श्री हाजेल सैम्यूल,
संयोजक,
आइचिज सेन्टर फार विमैन्स डबल्पमेन्ट,
लोकबोधन केन्द्र,
39, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
डी० ब्लाक, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

243. श्री एस०पी० नाचियापन,
इन्डियन बैंक,
कर्मपाकुड्डी-622302

244. कुमारी साधना श्रीवास्तव,
ब्रवदेश रेलवे कालोनी,
36/12 जिला पालमू,
बिहार

245. श्री पुतुल चक्रवर्ती

246. कुमारी सुशीला देवी,
कनकर बाग आवासीय कालोनी,
पटना, बिहार

247. कुमारी साइदी बेगम,
आजमगढ़, बिहार

248. कुमारी सरोजनी देवी
शास्त्री नगर,
धनबाद, बिहार

249. शोवना पॉल,
गांधी नगर,
शोवना निवास,
धनबाद, बिहार

250. सुश्री रेनुका रॉय, कटक, उड़ीसा

251. सुश्री सुमित्रा मुकर्जी, बीरभूम, प० बंगाल

252. कुमारी पूनम रानी,
आवासीय कालोनी,
बछार, धनबाद, बिहार

253. कुमारी शोभारानी देसाई,
बी०सी०सी०एल०, कालोनी,
धनबाद, बिहार।

256*.

255. श्री कल्यानी करलेकर
अध्यक्ष, कलकत्ता सामाजिक परियोजना,
172/3, रास बिहारी ऐवन्यू,
कलकत्ता-700029

256*.

257. श्री निर्मल कुमार यादव,
पोस्ट बारा खेर,
पश्चिमी बंगाल-326002

258. श्री गोविन्द प्रसाद सिंह,
पोस्ट माराग, जिला हजारीबाग

259.*

260. श्री जगदीश सिंह,
गांव-भंडार देह,
रानीगंज, आसन सोलू,
पश्चिमी बंगाल

261. श्री देवी दयाल महतो,
गांव ढोकड़ा, पोस्ट दमोदा,
जिला धनबाद, बिहार

262. श्री एन० लयू कुमार शर्मा,
पोस्ट भाभुवार, जिला रोहतास,
पिन-653002

263. श्री अमुलो राय,
24 परगना,
साघपुर

264. श्री दयाल शर्मा,
पोस्ट भुली,
जिला धनबाद, बिहार

265. श्री कृष्णन किशोर नन्दा,
मुज्जफ्फरपुर,
बिहार

266. श्री आलोक नाथ कौर,
पोस्ट हरिपुर,
जिला चम्पारन, बिहार

---

*इन ज्ञापनों पर नाम तथा पते नहीं दिए गए थे।

267. श्री अजोनुल कुमार,
राजगंज

268. श्री रजनी कान्त प्रसाद,
पोस्ट हसनपुर,
जिला मुंगेर

269. श्री कृष्ण किशोर सिंह,
गांव राजगंज,
डाकखाना राजगंज,
जिला धनबाद, बिहार

270. श्री महेन्द्र प्रसाद वर्मा,
पोस्ट बेगम कूचा,
जिला पूर्णिया, बिहार

271. डेनियल जे॰ थियोपलीस,
माननीय निदेशक,
श्रम शिक्षा और सामाजिक अनुसंधान केर,
जूनियर रेस्ट हाऊस, दक्षिण-पूर्वी कोलफील्ड्स,
सीपथ् रोड, बिलासपुर-493001, म॰प्र॰

272. सुश्री ब्रिन्दा करट,
आल इंडिया डेंमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिशयन,
वी॰ पी॰ हाऊस, न्यू दिल्ली

273. डा॰ बशीर ए॰ अमोदी एवं अन्य एम॰डी॰,
आई॰सी॰ए॰, अजन्ता सामुदायिक केन्द्र,
प्रथम तल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380014

274. श्रीमती श्रद्धा प्रधान,
अध्यक्ष, एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इण्डिया,
सिक्किम शांखा, गंगटोक

275. समायोजक
रूपान्तर रिसर्च एण्ड स्टडी सेन्टर,
बिलदीबाद, हांदीपाड़ा,
पोस्ट बॉक्स 130,
रायपुर-492001 म॰प्र॰

276. कुमारी लवली अरोड़ा,
139, कविता कालोनी,
नांगलोई, दिल्ली

277. श्री गुरूमीत सिंह,
डब्ल्यू जेड-53ए शान्तगढ़,
पी॰ओ॰ तिलकनगर,
नई दिल्ली-110018

278. श्री बी॰ मारवीन एम॰सी॰एस॰,
मेघालय सरकार के उपसचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
मेघालय सरकार, मेघालय

279. कुमारी इन्दू,

280. श्री शामला पप्पू,
वरिष्ठ अधिवक्ता,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
ए-16, नीति बाग (भूमि तल),
नई दिल्ली-110049

281. श्री बी॰बी॰ पाटिल,
संयुक्त सचिव,
लोक स्वास्थ्य विभाग,
मंत्रालय, बम्बई-400032

282. श्री राम नरेश सिंह
टी-662/ए1, बलजीत नगर,
नई दिल्ली-15

283. श्री यश कुमार चोपड़ा,
शक्ति नगर,
सोन भरा, उ॰प्र॰

284. श्री चितरंजन डे, एल॰आई॰बी॰,
आफिसिएटिंग सेक्रटरी,
पश्चिमी बंगाल बार कोंसिल,
2 और 3, किरनशंकर रे रोड,
कलकत्ता-700001

285. श्री पी॰ के॰ राय,
पश्चिमी बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवार कल्याण शाखा,
सी॰आई॰टी॰ (एनेक्सी) बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
पी-16, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस एक्सटेंशन,
पश्चिमी बंगाल

286. कुमारी बालादेवी,
डब्ल्यु जेड-277, बसईदारापुर,
नई दिल्ली

287. सुश्री पूर्वा कुशवाहा,
क॰ सचिव, राजस्थान वोलन्टरी हेल्थ एसोसिएशन,
शान्ति निकेतन, ए-5, महाबीर उद्यान पथ,
बजाज नगर, जयपुर

288. वुमेन्स रिहेबिलिटेशन ग्रुप,
जयपुर

289. श्री ए॰ पेरती,
भारतीय प्रशासनिक सेवा,
असम सरकार के सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (बी) विभाग,
असम

290. डा॰ ए॰ एन॰ सिन्हा,
विशेषाधिकारी (चिकित्सा),
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

291. श्री प्रेम गोयल, सचिव,
हिमाचल प्रदेश बॉर काउंसिल,
रेवन्स वूड, शिमला-171001

292. सुश्री सुसन मेथयू, आई०ए०एस०
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
मद्रास

293. श्री के० एल० मदान,
सरकार के उप सचिव,
चिकित्सा और स्वास्थ्य (ग्रेड-III) विभाग,
राजस्थान सरकार, राजस्थान

294. डा० (श्रीमती) बी० चड्डा,
विभागाध्यक्ष, रसूति एवं स्त्री रोग,
कस्तूरबा अस्पताल, दिल्ली-2

295. डा० ए०एम० लेले,
आनुवांशिकी विभाग के प्रभारी,
शरीर रचना विज्ञान विभाग,
ग्रांट मेडिकल कालेज,
बायकुला, मुम्बई-400008

296. डा० बोम्सी वाडिया,
पटेल चेम्बर्स (फ्रेंच ब्रिज) कला महर्षि हलडांकर पुल,
ओपरा हाऊस सिनेमा जंक्शन,
वैश्य बैंक के ऊपर, मुम्बई-400007

297. डा० (श्रीमती) आई० मनोरमा थॉमस,
सेंट जॉन मेडिकल कालेज,
बंगलौर-560034

298. डा० एस०एम० मर्चेन्ट,
आचार्य डोंडें मार्ग, पार्ले,
मुम्बई-400012

299. सुश्री गीता ताल्लुकदार,
विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
99, सरत बोस रोड, कलकत्ता-700026

300. प्रो० ईश्वर सी० वर्मा,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
आनुवांशिकी इकाई, बाल-चिकित्सा विभाग,
पुरानी ऑपरेशन थियेटर बिल्डिंग,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

301. डा० एस०एस० अग्रवाल,
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसंस
पोस्ट बाक्स 375, लखनऊ-226001

302. डा॰ जरीन पटेल,
सहायक, निदेशक, आई॰सी॰एम॰आर॰
आनुवांशिकी अनुसंधान केन्द्र,
बाई जेरबाई वाडिया, हास्पिटल फार चिल्ड्रन
आचार्य डोंडें मार्ग, पार्ले,
मुम्बई-400012

303. डा॰ विश्वनाथम कैनिथी, संसद सदस्य

304. श्रीमती सत्या बहिन, संसद सदस्य (राज्य सभा)

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 10)

उन साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया।

---

1. (एक) कुमारी लोपा बैनर्जी
   (दो) कुमारी नलिनी बनोट
   सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर

2. डा० सी० सत्यामाला
   मेडिको फ्रेंडस सर्कल

3. डा० मीरा शिवा,
   भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ

4. कुमारी रमा वसुदवन
   पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स

5. डा० श्रीमती नलिनी अब्राहम
   फैमली पलेनिंग फाउंडेशन

6. (एक) श्रीमती प्रामिला लुम्बा
   (दो) डा० ऊषा श्रीवास्तव
   (तीन) श्रीमती अनुराधा गुप्ता
   (चार) श्रीमती विमला फारूखी
   भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ

7. (एक) डा० पीयूष अग्रवाल
   (दो) डा० पी० एस० भंडारी
   (तीन) डा० के० के० लाम्बा
   (चार) डा० एस० पी० एस० विर्क
   एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक्स एंड अल्ट्रासाउंड क्लीनिक्स ऑफ इंडिया

8. डा० पी०एम० बख्शी, निदेशक

9. (एक) श्रीमती ऊषा अहूजा
   (दो) श्रीमती मधु कालिया
   नारी रक्षा समिति

10. (एक) श्रीमती पुलोमा शाह
    (दो) सुश्री रानी जेठमलानी
    महिला दक्षता समिति

11. सुश्री साधना गागुंली
    यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन

12. (एक) श्रीमती वृन्दा कारत
(दो) डा॰ लक्ष्मी सहगल
(तीन) श्रीमती जगमति सांगवान
आल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन

13. (एक) सुश्री स्वलिजा
(दो) सुश्री चयनिका
फोरम अगेंस्ट आप्रेशन ऑफ वुमेन,
कुंडा कदम,
120, सफालया, करी रोड,
मुम्बई-400013

14. (एक) श्री रविन्द्र आर॰पी॰
(दो) सुश्री जयश्री,
फोरम अगेंस्ट सेक्स डिटरमिनेशन
एंड सेक्स प्री-सलेक्शन,
द्वारा महिला केदर, बी-104,
सनराइज अपार्टमेंट, केनरा बैंक, के ऊपर,
मुम्बई-55

15. (एक) श्रीमती ए॰ बी॰ वाडिया
(दो) ए॰ वी॰ एम॰ (सेवानिवृत्त) लेले
(तीन) श्री पी॰ एस॰ सभाले,
भारतीय परिवार नियोजन संघ,
बजाज भवन,
नरीमन पाइंट, महिम (डब्ल्यू)
मुम्बई-400025

16. श्री निलेश पी॰ रून,
53, शांति निकेतन,
अणुशक्ति नगर,
मुम्बई-400094

17. डा॰ हेमा पुरानदरें
नर्थ डिफेक्टस सेन्टर, बांद्रा,
मुम्बई

18. डा॰ शरद गांगोली,
सुरलाला हास्पिटल
महिम, मुम्बई

19. डा॰ एस॰ए॰ लखनदम
उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी,
मुम्बई, नगर निगम

20. (एक) डा॰ लता मेहता,
(दो) डा॰ पी॰ जी॰ नटराजन
(तीन) डा॰ एस॰ वी॰ आप्ती,
स्टेट एप्रोपिरएट अथारिटी,
महाराष्ट्र सरकार
मुम्बई।

21. डा० मृदुला कोठारी,
श्रद्धानंद महिलाश्रम,
द हिन्दू वुमेन्स वेलफेयर सोसायटी,
श्रद्धानन्द रोड,
किंग्स सर्कल,
माटुंगा, मुम्बई-400019

22. डा० इन्दुमती पारिख

23. खरदीनि दहानुकुर,
राज्य सतर्कता समिति

24. (एक) श्रीमती जयश्री प्रचुरे,
(दो) श्रीमती वीना प्रधान

25. श्रीमती नीलिमा अहेर
समाज सेविका,
पोस्ट दयोला, तलकलवान,
जिला नासिक।

26. डा० बी० आर० अग्रवाल,
विश्वास अपार्टमेंट्स,
दातावड़ी,
पुणे-30

27. श्री एस० एन० नन्दगारे,
बी/901, ऊषा नगर
भानदुप (पश्चिम)
मुम्बई-78

28. (एक) श्री अनिल पीलगावहन
(दो) श्री रवि दुग्गल
मेडिको फ्रेंट्स सर्कल,
318, प्रभु दर्शन,
अमबोली, अन्धेरी (पश्चिम)
मुम्बई-58

29. श्री सुनिल नन्दराज
फाउंडेशन फार रिसर्च इन कम्युनिटी हैल्थ,
84, ए०आर०जी० थानदानी रोड,
वर्ली, मुम्बई-18

30. सुश्री पूर्वा खुशवाहा,
कार्यकारी सचिव,
राजस्थान स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ
ए-5 माहावीर उद्यान पथ,
बजाज नगर, जयपुर
पिन-302015

31. (एक) डा० एस० सी० काबरा
(दो) सुश्री एलिस गर्ग,
बाल एंड रश्मि सोसायटी,
ए-48, शान्ति पथ,
तिलक नगर, जयपुर-302004

32. कुमारी रेणुका पामेचा,
(एक) महिला पुनर्वास दल,
बी-118, मंगल मार्ग, जयपुर-302004
(दो) राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन,
जयपुर।

33. डा॰ गोरधन दास ठाकुर,
167, राम भरण, बाजी पार्क,
सिन्धी कालोनी,
जयपुर (राजस्थान)

34. डा॰ प्रकाशवती भटनागर,
रेड क्रास सोसायटी,
जयपुर।

35. डा॰ श्रीमती पुष्पा पोरवाल,
डा॰ पोरवाल्स नर्सिंग होम,
ब्यावर रोड,
अजमेर-305001

36. डा॰ बद्री एन॰ सक्सेना, डीडीजी (सोनियर)
आईसीएमआर, नई दिल्ली।

37. डा॰ (श्रीमती) कमल बख्शी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
प्रसूति-विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।

38. डा॰ श्रीमती बी॰ चड्ढा,
प्रसूति-विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विभाग,
कस्तूरबा अस्पताल,
नई दिल्ली।

39. प्रो॰ बी॰जे॰ वाडिया,
प्रसूति-विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विभाग के
प्रोफेसर, चेयरमैन एवं विभागाध्यक्ष,
ग्रांट मेडिकल कालेज और
सर जे॰जे॰ ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स,
मुम्बई।

40. डा॰ (श्रीमती) ए॰एम॰ लेले,
प्रभारी, अनुवांशिकी प्रभाग,
शरीर रचना विज्ञान, जीएमसी और
जे॰जे॰ ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स,
मुम्बई।

परिशिष्ट पांच **गोपनीय**

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 से संबंधित संयुक्त समिति **की पहली बैठक** का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 22 अक्तूबर, 1991 को 1500 बजे से 1715 तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती सरोज दूबे
4. श्रीमती गिरिजा देवी
5. डा० विश्वानाथ कैनिथी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. डा० कार्तिकेश्वर पात्र
8. डा० वसंत पवार
9. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम
10. कुमारी विमला वर्मा

राज्य सभा

11. श्रीमती सरला महेश्वरी
12. श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
13. श्री शारदा महन्ती
14. श्री वी० नारायणसामी
15. श्रीमती सत्या बहिन
16. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
श्री टी० सी० ढींगरा — **अवर सचिव**

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० जयकर
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री टी० के० विश्वानाथन,
उप विधायी परामर्शदाता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बी० मिश्रा — **संयुक्त सचिव**
2. श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक (नीति)**

2. प्रारम्भ में सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने सदस्यों का ध्यान विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की ओर दिलाया तथा समिति के समक्ष कार्य की महत्ता तथा तात्कालिकता का उल्लेख किया।

3. समिति ने निर्णय लिया कि एक प्रेस विज्ञप्ति (परिशिष्ट) जारी की जाये जिसमें राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, बार परिषदों, चिकित्सा संघों तथा अन्य व्यक्तियों से जो विधेयक के विषय में रुचि रखते हों, विचार के लिए 22 नवम्बर, 1991 से पहले विधेयक के संबंध में ज्ञापन मंगाये जायें, जिसमें

114/25-8

इनके सुझाव/टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय-वस्तु का प्रेस/दूरदर्शन/आकाशवाणी आदि के माध्यम से प्रचार किया जाये। मंत्रालय को भी लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विधेयक की विषय-वस्तु के प्रचार के लिए किये जाने वाले उपायों पर विचार करना चाहिए।

4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उन सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, महिला संगठनों, अन्य सामाजिक संगठनों, शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा कार्य में लगे लोगों तथा विधि व्यवसायी तथा अन्य व्यक्ति विशेषज्ञों को जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, को एक पत्र भेजा जाये जिसमें विधेयक के संबंध में उनसे टिप्पणियां/सुझाव मंगाये जायें।

समिति ने इस संबंध में पाया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले से भेजी गई संगठनों/व्यक्तियों की सूची यापक नहीं है। इसलिए मंत्रालय को उस सूची में अन्य ऐसे संगठनों/व्यक्तियों जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिन्हें इस मामले में पत्र भेजे जाने हैं, को सम्मिलित किया जाये।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशिष्ट प्रश्नवाली तैयार की जानी चाहिए जिसे इन संगठनों/विशेषज्ञों को उनकी राय बनाने के लिए भेजा जाये। समिति संगठनों/निकायों/व्यक्तियों द्वारा समिति को ज्ञापन भेजे जाने के लिए चार सप्ताह का समय देने के लिए भी सहमत हो गई।

5. सभापति ने सदस्यों से ऐसे विशिष्ट निकायों/संगठनों जिन्हें ज्ञापन भेजने के लिए कहा जाना हो के संबंध में सुझाव देने का अनुरोध किया।

6. समिति ने इस प्रश्न पर कि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए किन संगठनों/व्यक्तियों को बुलाया जाये, के बारे में समिति को उपर्युक्त ज्ञापन मिल जाने के बाद विचार करने का निर्णय लिया। समिति ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ राज्यों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने के प्रश्न पर भी उस समय निर्णय करने का विचार किया।

7. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) से यह अनुरोध किया जाये कि वह ज्ञापन में दिये गये प्रश्नावली के उत्तरों और साक्ष्य के दौरान दिये गये उत्तरों का विश्लेषण करें और समिति के विचारार्थ उन खंडवार टिप्पणी प्रस्तुत करें।

8. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की (एक) लिंग निर्धारण संबंधी केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट और (दो) महाराष्ट्र प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1988 के उपयोग का विनियमन और तत्संबंधी नियमों की प्रतियां उन्हें भेजी जायें। यदि सम्भव हो तो दूसरे देशों में इस प्रकार के विधान की स्थिति संबंधी एक नोट भी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाये।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट

(**देखिये** कार्यवाही सारांश का पैरा 3)

प्रेस प्रकाशिनी

23 अक्तूबर, 1991

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ के सभापतित्व में गठित दोनों सभाओं की प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, बार परिषदों, चिकित्सा संघों तथा अनय व्यकितयों से ज्ञापन आमंत्रित करती है। वे व्यक्ति जो विधेयक के सम्बन्ध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन भेजना चाहते हैं वे उन्हें 22 नवम्बर, 1991 तक भेज दें। ज्ञापन महासचिव, लोक सभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली के नाम भेजें।

लोक सभा में यथा पुरःस्थापित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित किया गया था।

आनुवंशिकी या मैटावोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्री लिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनके सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये प्रावधान करना है।

समिति को भेजे गये ज्ञापन समिति का रिकार्ड बनेंगे तथा इसे पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा और किसी को भी परिचारित नहीं किया जाएगा। ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा।

जो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहें वे समिति के विचारार्थ ज्ञापन भेजते समय इसकी जानकारी लोक सभा सचिवालय को दें।

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 20 दिसंबर, 1991 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. डा॰ विश्वनाथ्न कैनिथी
6. श्रीमती सुमित्रा महाजन
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. कुमारी विमला वर्मा

राज्य सभा

9. श्रीमती सरला माहेश्वरी
10. श्री शारद्रा मोहन्ती

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस॰एस॰ कपूर — **निदेशक (आयोजना)**

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री वी॰पी॰ जयकर — **(संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता)**

(सचिवालय)

श्री आर॰के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
श्री टी॰डी॰ ढींगरा — **अवर सचिव**

2. सभापति ने समिति को समिति के कार्य में हुई प्रगति से अवगत कराया। सभापति ने यह सूचित किया कि विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों से प्राप्त 30 से अधिक ज्ञापन आदि सदस्यों को भेज दिए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन/व्यक्तिगत पत्र लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हो रहे हैं।

2. सभापति ने समिति को यह भी सूचित किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर, 1991 तक आम जनता से ज्ञापन मंगाने के लिए विधेयक के उपबंधों के संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है।

3. समिति के कुछ सदस्यों के सुझाव पर समिति ने ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख को दिसंबर, 1991 के अंत तक बढ़ाने का निश्चय किया है।

4. समिति ने यह निर्णय भी किया कि यदि कोई सदस्य कुछ उन विशिष्ट संगठनों आदि का नाम सुझाना चाहता है, जिससे समिति द्वारा ज्ञापन मंगवाए जाएं तो वे सचिवालय को अपने पते आदि भेज सकता है और सचिवालय इस मामले में उनको उपयुक्त जानकारी भेजेगा।

5. समिति ने उन कतिपय संगठनों आदि का मौखिक साक्ष्य लेने का भी निर्णय किया जिन्होंने बैठकों के अपने अगले दौर में समिति को पहले ही अपने ज्ञापन भेज दिए थे। समिति ने निदेश दिया कि दिल्ली में स्थित उन संगठनों आदि जिन्होंने साक्ष्य देने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है को पहले साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया जाए। समिति ने अपने समक्ष उपस्थित होने वाले संगठनों/व्यक्तियों का निर्णय करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

6. कतिपय सदस्यों के सुझाव पर समिति ने निर्णय किया कि विधेयक के उपबन्धों का व्यापक प्रचार किया जाए और आम लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को रेडियो से वार्ताएं प्रसारित करवाने के साथ-साथ गोष्ठियां/संगोष्ठियां आयोजित करने के बारे में विचार करना चाहिए।

7. तत्पश्चात् समिति ने उच्चतम न्यायालय की वकील और महिला दक्षता समिति की विधायी सलाहकार श्रीमती रानी जेठमलानी से 27 नवम्बर,

1991 को प्राप्त पत्र पर विचार किया। उन्होंने विधेयक के संबंध में समिति द्वारा दिए गए साक्ष्य के बाद विस्तृत टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। समिति टिप्पणी करती है कि संगठन विशेष आदि के साक्ष्य लेने संबंधी प्रश्न पर संबंधित संगठनों से लिखित ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् विचार करना और साक्ष्य के साथ चर्चा करना अधिक लाभप्रद रहेगा। समिति ने सचिवालय को तदनुसार श्रीमती रानी जेठमलानी को सूचित करने का निदेश दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 दिसंबर, 1992 को 15.00 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा "डी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. डा॰ महावीरसिंह हरिसिंहजी गोहिल
6. डा॰ (श्रीमती) पद्मा
7. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र
8. कुमारी विमला वर्मा

राज्य सभा

9. श्रीमती सरला माहेश्वरी
10. श्री शारदा मोहन्ती
11. श्रीमती सत्या बहिन
12. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री के॰सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर॰के॰ चटर्जी — उप सचिव
श्री टी॰डी॰ ढींगरा — अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस॰बी॰ मिश्रा — संयुक्त सचिव
श्री एस॰एस॰ कपूर — निदेशक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री टी॰ विश्वनाथन — उप विधायी सलाहकार

2. सभापति ने साक्ष्य हेतु बुलाए गए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष द्वारा लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकर्षित किया। तत्पश्चात् समिति ने क्रम से निम्नलिखित संगठनों का मौलिक साक्ष्य लिया।

	संगठन का नाम	प्रतिनिधियों के नाम
1.	महिला सहेली संसाधन केन्द्र	(एक) कुमारी लोपा बनर्जी (दो) कुमारी नलिनी ब्रानोट
2.	मैडिको फ्रैंड्स सर्कल	(तीन) डा॰ सी॰ सत्यामाला

	संगठन का नाम	प्रतिनिधियों के नाम
3.	भारतीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य संगठन	(चार) डा॰ मीरा शिवा
4.	लोकतांत्रिक अधिकारों संबंधी जनसंघ	(पांच) रमा वासुदेवन
5.	एक्शन इंडिया	(छः) कुमारी देवी कृपा (15.25 से 16.40 बजे तक)
2.	फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन	डा॰ (श्रीमती) नलिनी अब्राह्म (17.10 बजे से 17.40 बजे तक)
3.	भारतीय राष्ट्रीय महिला परिसंघ	(एक) श्रीमती प्रमिला लूम्बा (दो) डा॰ ऊषा श्रीवास्तव (तीन) श्रीमती अनुराधा गुप्ता (चार) श्रीमती बिमला फारूखी (17.40 बजे से 17.55 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

तत्पंश्चात समिति की बैठक 21 जनवरी, 1992 को पुनः 15.00 बजे होने के लिए स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 21 जनवरी, 1992 को 15.00 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा "डी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती मालनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती सुमित्रा महाजन
6. डा० (श्रीमती) पद्मा

राज्य सभा

7. श्रीमती सरला माहेश्वरी
8. श्री शारदा मोहन्ती
9. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस०सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर०के० चटर्जी — उप सचिव
श्री टी०डी० ढींगरा — अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० मिश्रा — संयुक्त सचिव
श्री एस०एस० कपूर — निदेशक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री टी० विश्वनाथन — उप विधायी सलाहकार

2. विभिन्न संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष द्वारा लोक सभा की प्रक्रिया और

कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकर्षित किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिया :

क्रम सं॰	संगठनों के नाम	प्रतिनिधियों के नाम
1.	एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक्स एण्ड अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक्स आफ् इंडिया	(एक) डा॰ पियूष अग्रवाल (दो) डा॰ पी॰एस॰ भण्डारी (तीन) डा॰ के॰के॰ लूम्बा (चार) डा॰ एस॰पी॰एस॰ विर्क (15.17 से 16.05 बज़े तक)
2.	भारतीय विधि संस्थान	श्री पी॰एम॰ बख्शी निदेशक, भारतीय विधि संस्थान **(16.05 बजे से 17.00 बजे तक)**
3.	नारी रक्षा समिति	(एक) श्रीमती ऊषा अहूजा (दो) श्रीमती मधु कालिया **(17.20 बजे से 17.45 बजे तक)**

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। समिति ने देखा कि विधेयक पर समूचे देश में विभिन्न संगठनों, आदि से भारी संख्या में ज्ञापन, आदि प्राप्त हुए हैं। समिति ने महसूस किया कि उसके लिए यह आवश्यक है कि साक्ष्य आदि रिकार्ड करने के लिए अपनी बैठकें दिल्ली से बाहर भी कुछ स्थानों पर आयोजित करें। समिति ने इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया कि क्या विभिन्न संगठनों के साथ केवल अनौपचारिक चर्चा की जाए अथवा देश के विभिन्न स्थानों पर साक्ष्य लेने के लिए औपचारिक बैठकें की जाएं। कुछ देर चर्चा करने के बाद समिति ने मौखिक साक्ष्य लेने के लिए औपचारिक चर्चा करने का भी निर्णय लिया।

5. समिति ने निर्णय लिया कि पहली बार में वह दिनांक 10 और 11 फरवरी, 1992* को कुछ अग्रणी संगठनों, आदि का साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए अपनी बैठक बंबई में कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह कुछ अन्य संगठनों तथा विशेषज्ञों के साथ अनौपचारिक चर्चा तथा बंबई स्थित कुछ हस्पतालों का दौरा भी कर सकती है। समिति ने सभापति को बम्बई में मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाए जाने वाले संगठनों/संघों के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने सभापति को बंबई में अनौपचारिक चर्चा/हस्पतालों का दौरा आदि के अन्य कार्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

6. सभापति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को बंबई में संबंधित एजेंसियों के साथ शीघ्रता से समन्वय स्थापित करने तथा समिति के कार्यक्रमों संबंधी ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए कहा। सभापति ने यह निदेश भी दिए कि मंत्रालय समिति के बंबई दौरे का उपयुक्त प्रचार कर सकती है ताकि इच्छुक पार्टियों का मौखिक साक्ष्य लिया जा सके तथा अनौपचारिक चर्चा की जा सके।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

*बाद में सभापति द्वारा ये तिथियां बदलकर 1992 और 20 फरवरी, 1992 कर दी गयी।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 20 फरवरी, 1992 को समिति कमरा 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 बजे से 13.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री शारदा महन्ती — **पीठासीन**

सदसय

लोक सभा

2. श्रीमती सरोज दुबे
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

5. श्रीमती सरला महेश्वरी
6. श्री वी० नारायणसामी
7. श्रीमती ,सत्या बहिन
8. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री आर० के० चटर्जी — **उप सचिव**

श्री टी० डी० ढींगरा — **अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एम० एस० शर्मा — **अपर विधायी सलाहकार**

समिति ने सभापति की अनुपस्थिति में लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 258 (3) के अंतर्गत श्री शारदा महन्ती को समिति की बैठक के लिए सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुना।

तत्पश्चात् सभापति ने साक्ष्य के लिए बुलाए गए अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

तत्पश्चात् समिति ने क्रमानुसार निम्नलिखित संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिया।

संगठन का नाम	प्रतिनिधियों के नाम
1. महिला दक्षता समिति	(i) श्रीमती पुलोमा शाह (ii) कु० रानी जैठमलानी **(11.20 बजे से लेकर 12.10 बजे तक)**
2. यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन	कु० साधना गांगुली **(12.10 बजे से लेकर 12.30 बजे तक)**

1	2
3. ऑल् इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन	(i) श्रीमती वृंदा कारत (ii) डा० लक्ष्मी सहगल (iii) श्रीमती जगमति संगवान

(12.30 बजे से लेकर 13.15 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् कार्यकारी सभापति ने समिति के सभापति से प्राप्त संदेश की समिति को सूचना दी कि समिति सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करे, जो 1992 के बजट सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन समाप्त होने वाली है। समिति ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और महसूस किया कि चूंकि समिति का दिल्ली से बाहर कुछ चुने हुए स्थान पर इच्छुक पार्टियों का मौखिक साक्ष्य लेना है और विधेयक के अन्य चरणों को पूरा करने के साथ-साथ विधेयक पर खण्डवार विचार भी करना है। अतः समिति के लिए सदन में अपना प्रतिवेदन निर्धारित दिन अर्थात् बजट सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा।

6. अतः समिति ने सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र, 1992 के अंत तक समयावधि बढ़ाये जाने की मांग करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी सयुंक्त समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1992 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा सं० 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती मालनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती सरोज दुबे
4. श्रीमती गिरिजा देवी
5. डा० विश्वानाथन कैनिथी
6. श्रीमती सुमित्रा महाजन
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

9. श्रीमती चन्द्रिका जैन
10. श्रीमती सरला महेश्वरी
11. श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
12. श्री शारदा महन्ती
13. श्री वी० नारायणसामी
14. श्रीमती सत्या बहिन
15. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता — **सयुंक्त सचिव**

श्री आर० के० चटर्जी— **उप सचिव**

श्री टी० डी० ढींगरा — **अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एम० एस० कपूर— **निदेशक**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एम० एस० शर्मा — **अपर विधायी सलाहकार**

प्रारंभ में सभापति ने सदस्यों को समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। सभापति ने सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा समिति के कार्य शीघ्रता से निपटाने के लिए की गई टिप्पणियों के बारे में जानकारी दी।

तत्पश्चात् समिति ने अपने भविष्य के कार्यक्रम पर सोच विचार किया और निर्णय लिया कि समिति 19 से 21 मई, 1992* तक कुछ अग्रणी संगठनों, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों, आदि का साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए बंबई और जयपुर का दौरा करेगी। इसके अतिरिक्त वह कुछ अन्य संगठनों तथा विशेषज्ञों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर तथा कुछ अस्पतालों आदि का दौरा भी करेगी।

---

*बाद में समिति ने समिति का दौरा एक दिन पहले से अर्थात् 18 से 20 मई, 1992 निर्धारित कर दिया।

समिति ने यह निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हुआ तो बाद में वह जून में किसी समय चंडीगढ़ जाकर वहां गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों के साथ भी इसी तरह की बातचीत करेगी। इसके साथ ही वह हरियाणा तथा पंजाब की सरकारों के साथ भी चर्चा करेगी।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, .18 मई, 1992 को विधान भवन, मुम्बई में 09.30 बजे से 12.30 बजे तक और 15.15 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती सरोज दुबे
4. श्रीमती गिरिजा देवी
5. श्रीमती सुमित्रा महाजन
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ सौन्द्रम

राज्य सभा

8. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन
9. श्रीमती सरला महेश्वरी
10. श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
11. श्री शारदा महन्ती
12. श्रीमती सत्या बहिन

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस॰ वी॰ मित्रा — **संयुक्त सचिव**

श्री रमेश चन्द्र — **अवर सचिव**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन॰ के॰ अग्रवाल —**संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**

गैर-सरकारी संगठनों के नाम

1. महिला दमन विरोधी मंच
2. लिंग अवधारण एवं लिंग पूर्व चयन विरोधी मंच
3. भारतीय परिवार नियोजन संघ

2. आरंभ में, श्रीमती पुष्पपती हिरे, जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने विधान भवन के हाल में उद्घाटन समारोह में समिति की सभापति महोदया और अन्य सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, सभापति महोदया ने साक्ष्य के लिये बुलाये गये विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की ओर दिलाया। तत्पश्चात् समिति ने गैर-सरकारी संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. अन्य इच्छुक पार्टियों से अनौपचारिक चर्चा करने हेतु समिति की बैठक पुनः अपराह्न 15.15 बजे हुई जिनकी चर्चा को भी रिकार्ड किया गया। पहले समिति ने भूतपूर्व संसद सदस्य श्रीमती मृणाल गोरे के साथ और तत्पश्चात् विभिन्न संगठनों, अस्पतालों/व्यक्तियों/विशेषज्ञों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 18 अन्य व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

4. चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 19 मई, 1992 को विधान भवन, मुम्बई में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती सुमित्रा महाजन
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

8. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन
9. श्रीमती सरला महेश्वरी
10. श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
11. श्री शारदा महन्ती
12. श्रीमती सत्या बहिन
13. श्री वी० नारायण स्वामी

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० मित्रा — **संयुक्त सचिव**

श्री रमेश चन्द्र — **अवर सचिव**

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन० के० अग्रवाल — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**

महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. डा० एस० आर० सालुके — अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
2. प्रो० बोन्सी वाडिया — अध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, जे० जे० अस्पताल
3. डा० पी० वी० साठे — निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, महाराष्ट्र,
4. डा० जोयू शंकरन — सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं औषध
5. श्री एच० ए० डी० सावियान — प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य विभाग
6. श्री डी० एन० चौधरी — प्रधान सचिव, विधि एवं न्यायपालिका विभाग, महाराष्ट्र सरकार

समिति ने मुम्बई में 900 बजे से 1200 बजे तक दो अस्पतालों अर्थात् जे० जे० अस्पताल और मुम्बई अस्पताल का दौरा किया और वरिष्ठ डाक्टरों से अनौपचारिक चर्चा की।

तत्पश्चात् समिति ने 12.30 बजे से 14.20 बजे तक राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की । चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और जून, 1992 में तीसरे सप्ताह में कभी भी अपनी अगली बैठकें करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की नौंवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 20 मई, 1992 को 1015 बजे से 1205 बजे तक विधान भवन, जयपुर में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ— **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती सरोज दुबे
4. श्रीमती गीता मुखर्जी
5. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

6. श्रीमती सरला महेश्वरी
7. श्री शारदा महन्ती
8. श्रीमती सत्या बहिन

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० मित्रा — **संयुक्त सचिव**

श्री रमेश चन्द्र — **अवर सचिव**

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन० के० अग्रवाल — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**

गैर-सरकारी संगठनों के नाम

1. राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संघ
2. बाल रश्मि सोसायटी
3. महिला पुनर्वास समूह
4. राजस्थान स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि

1. डा० डी० सी० वाफना	अपर डी एम एच एस (एफ डब्ल्यू)
2. डा० बी० एल० गुप्ता	डी एम एच एस
3. श्री ओ० पी० मीणा	विशेष सचिव
4. कुमारी अंजना भूषण	निदेशक, महिला एवं बाल विकास
5. श्रीमती कुशल सिंह	सचिव, महिला एवं बाल विकास

2. संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति महोदया ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की ओर दिलाया। तत्पश्चात् समिति ने गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के चले जाने के पश्चात् समिति ने राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। चूंकि राजस्थान सरकार ने प्रारूप विधान पर अपने टिप्पण नहीं दिये थे, उन्होंने समिति को विश्वास दिलाया कि वे विधेयक के बारे में 15 दिन के अंदर अपने टिप्पण भेज देंगे।

4. चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की सोमवार, 22 जून, 1992 को समिति कक्ष ''डी'', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक 15.00 से 18.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती सरोज दुबे
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी गोहिल
5. डा० विश्वानाथन कैनिथी
6. श्रीमती सुमित्रा महाजन
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. डा० कार्तिकेश्वर पात्र
9. डा० वसन्त पवार
10. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

11. श्रीमती सरला माहेश्वरी
12. श्री शारदा महन्ती

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
श्री आर० के० चटर्जी — **उप सचिव**
श्री टी० डी० ढींगरा — **अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक**

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री टी० के० विश्वनाथन — **अपर विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें समिति के कार्य की प्रगति से अवगत कराया। तत्पश्चात् समिति ने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि से प्राप्त विभिन्न सुझावों/मतों जिनका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्लेषण किया गया था और जिन्हें खंडवार व्यवस्थित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए विधेयक के विभिन्न खंडों पर आम चर्चा की। चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

3. चर्चा पूरी नहीं हुई। समिति ने मंगलवार, 23 जून, 1992 को 11.00 बजे अपनी अगली बैठक में चर्चा पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की मंगलवार, 23 जून, 1992 को समिति कक्ष ''डी'', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 11.00 से 13.30 बजे और पुनः 15.00 से 19.15 तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ—**सभापति**

सदय

लोक सभा

2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती सरोज दुबे
4. श्रीमती गिरिजा देवी
5. डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल
6. डा० विश्वानाथन कैनिथी
7. श्रीमती सुमित्रा महाजन
8. श्रीमती गीता मुखर्जी
9. डा० वसन्त पवार
10. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

11. श्री शारदा महन्ती
12. श्री वी० नारायणस्वामी

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
2. श्री टी० डी० ढींगरा — **उप सचिव**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री टी० के० विश्वनाथन — **अपर विधायी सलाहकार**

2. समिति ने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि से प्राप्त सुझावों/मतों को ध्यान में रखते हुए विधेयक के विभिन्न खंडों पर अपनी आम चर्चा पुनः आरंभ की। समिति ने विधेयक के सभी खंडों पर अपनी चर्चा पूरी की।

इस चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

3. समिति ने महसूस किया कि विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कतिपय पहलुओं पर चिकित्सा विशेषज्ञों का स्पष्टीकरण लेना आवश्यक है। तदनुसार, समिति ने ऐसे विशेषज्ञों का चयन करने और उन्हें समिति की 7 जुलाई, 1992 को होने वाली अगली बैठक में समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु बुलाने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

4. समिति ने यह भी निर्णय किया कि कार्य पूर्ण करने और प्रतिवेदन को निर्धारित समय अर्थात लोक सभा के मानसून सत्र की समाप्ति तक प्रस्तुत करने के लिए, माननीय सदस्य संशोधन संबंधी अपने नोटिस अधिक से अधिक 10 जुलाई, 1992 तक दे सकते हैं और समिति 17 और 18 जुलाई, 1992 को विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 7 जुलाई, 1992 को 15.00 बजे से 19.00 बजे तक समिति कमरा 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती गीता मुखर्जी

राज्य सभा

6. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन
7. श्री शारदा महन्ती
8. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस०सी० गुप्ता —**संयुक्त सचिव**
श्री टी०डी० ढींगरा —**अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस०बी० मिश्रा —**संयुक्त सचिव**
श्री एस०एस० कपूर —**निदेशक**

2. सभापति ने साक्ष्य के लिए बुलाए गए गैर-सरकारी विशेषज्ञों का स्वागत किया और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित गैर-सरकारी विशेषज्ञों का भी साक्ष्य लिया।

1. डा० बद्री एन० सक्सेना, डी०डी०जी० (वरिष्ठ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
2. डा० (श्रीमती) कमल बक्शी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3. डा० (श्रीमती) बी० चड्ढा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, कस्तूरबा अस्पताल, नई दिल्ली।
4. प्रो० (डा०) बी०जे० वाड़िया प्रोफेसर चेयरमैन तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के अध्यक्ष, ग्रांट मेडिकल कालिज एवं सर जे०जे० ग्रुप आफ हास्पिटलस मुम्बई।
5. डा० (श्रीमती) ए०एम० लेले, प्रभारी अधिकारी आनुवांशिक विज्ञान प्रभाग तथा शरीर-रचना विज्ञान विभाग, जी०एम०सी० एवं जे०जे० ग्रुप ऑफ हास्पिटल मुम्बई।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति यह महसूस करती है कि विधेयक के कपितय प्रावधानों पर उन्हें गहन अध्ययन करने और अधिक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। समिति ने साक्षियों से यह इच्छा व्यक्त की कि वे विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कुछ अन्य सहयोगियों

से परामर्श करें और उसके पश्चात अपनी सुविचारित राय दें। यह निर्णय लिया गया कि साक्षियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञों की सूची बताएगा, जिन्हें तीन सप्ताह की समयावधि के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देने के लिए लोक सभा सचिवालय से अनुरोध करेगा।

5. समिति ने यह महसूस किया कि वह 17 और 18 जुलाई, 1992 को जैसा कि पहले निर्णय लिया गया था, विधेयक पर खंड-वार चर्चा नहीं कर पाएगी। अतः समिति ने निर्णय लिया कि समिति की 17 और 18 जुलाई, 1992 को निर्धारित बैठकों को रद्द कर दिया जाए।

6. समिति के कार्य के बारे में अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हुए महसूस किया कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि कार्य को निर्धारित तिथि अर्थात् लोक सभा के मानसून सत्र के अंत तक समाप्त करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अतः समिति ने निर्णय किया कि रिपोर्ट को अगले सत्र (शीतकालनी सत्र) के अंत तक प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जाए। समिति ने आगामी मानसून सत्र के अंत में अपनी अगली बैठक करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 18 अगस्त, 1992 को समिति कक्ष "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 से 1600 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी॰के॰ तारादेवी सिद्धार्थ —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. डा॰ विशवनाथन कैनिथी
5. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र
6. कुमारी विमला वर्मा

राज्य सभा

7. श्री शारदा महन्ती
8. श्री वी॰ नारायणसामी

सचिवालय

श्री आर॰के॰ चटर्जी —**उप सचिव**

श्री टी॰डी॰ ढींगरा —**अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) का प्रतिनिधि

श्री रमेश चन्द्रा —**अवर सचिव**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) का प्रतिनिधि

श्री एन॰के॰ अग्रवाल —**संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में, सभापति ने बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और समिति द्वारा तब तक किए गए कार्य की पुनरीक्षा की।

3. तत्पश्चात, समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और आगे कोई ज्ञापन न मंगवाने अथवा साक्ष्य न लेने का निर्णय किया। समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक पर खंडवार विचार करने हेतु अभी तक प्राप्त हुई सामग्री/लिए गए साक्ष्य के आधार पर समिति के सदस्यों से प्रारूप विधेयक संबंधी संशोधन मंगवाए जाएं। यह निर्णय लिया गया कि (एक) सदस्य अपने संशोधन अधिकतम 15 सितम्बर, 1992 तक भेज सकते हैं, और (दो) उन संशोधनों पर विचार करने के लिए संयुक्त समिति की बैठकें 28 और 29 सितम्बर, 1992 को होंगी।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 2 नवम्बर, 1992 को 11.10 बजे से 13.30 बजे तक तथा पुनः 15.10 बजे से 17.20 बजे तक समिति कमरा "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी॰के॰ तारादेवी सिद्धार्थ —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती गिरिजा देवी
6. डा॰ (श्रीमती) पदमा
7. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र
8. डा॰ वंसत पवार
9. डा॰ (श्रीमती) के॰एस॰ सौन्द्रम

राज्य सभा

10. श्रीमती न्सरला माहेश्वरी
11. श्री शारदा महन्ती
12. श्रीमती सत्या बहिन
13. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस॰सी॰ गुप्ता —**संयुक्त सचिव**
श्री आर॰के॰ चटर्जी —**उप सचिव**
श्री टी॰डी॰ ढींगरा —**अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

(एक) श्री ए॰के॰ मुखर्जी — कार्यवाहक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
(दो) श्री एस॰एस॰ कपूर — निदेशक
(तीन) डा॰ श्रीमती बी॰ चड्ढा — अध्यक्ष, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग, प्रोफेसर-निदेशक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा हास्पिटल, दिल्ली।
(चार) डा॰ बी॰एन॰ सक्सेना — वरिष्ठ उप महानिदेशक, इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(पांच) डा॰ (श्रीमती) कमल बख्शी — प्रोफेसर और अध्यक्ष, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
(छः) डा॰ आई॰सी॰ वर्मा — प्रोफेसर, बाल चिकित्सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन॰के॰ अग्रवाल —**संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
श्री टी॰के॰ विश्वनाथन —**अवर विधायी सलाहकार**

2. सभापति ने समिति के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों का स्वागत किया। सभापति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सदस्यों द्वारा संशोधनों के बारे में दी गई सूचना की चार सूचियों और इन 4 सूचियों को शामिल करके समेकित सूची परिचालित किए जाने के संबंध में समिति को सूचित किया। उन्होंने स्वयं सभापति द्वारा दिए गए संशोधनों की सूची का भी उल्लेख किया तथा बैठक आरंभ होने पर उसे सदस्यों में परिचालित किया।

3. इसके बाद समिति ने सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधनों के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को जानने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विधेयक को खण्डवार विचार करने के लिए लिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

4. समिति ने खंड 2(ग)(घ)(ङ) से संबंधित संशोधनों पर विचार किया। इस संबंध में समिति ने महसूस किया कि सरकारी संस्थानों पर प्रसव पूर्व निदानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के लिए पहले से ही दबाव है। तथापि, अपेक्षित अधारभूत ढांचा गैर-सरकारी संस्थानों में भी उपलब्ध है। अतः समिति ने यह मत व्यक्त किया कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ही प्रसव-पूर्व निदान सुविधाओं की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते गैर-सरकारी क्षेत्र अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

5. खण्ड 2(ग)(घ)(ङ) के प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते हुए, समिति ने यह महसूस किया कि यद्यपि (एक) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र; (दो) आनुवंशिकी क्लीनिक; और (तीन) आनुवंशिकी प्रयोगशाला को एक संयुक्त ढांचे के अन्तर्गत रखना वांछनीय है, फिर भी उन्हें सम्मिलित रूप से एक स्थान पर रखना व्यवहार्य नहीं होगा। अतः समिति ने निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए:—

(एक) खण्ड 2(ग) पृष्ठ 2, पंक्ति 8—12

"आनुवंशिकी सलाहकेन्द्र" से **के पश्चात** "रोगियों ..... के लिए लेना" का **लोप किया जाए।**

(दो) खण्ड 2(घ) पृष्ठ 2, पंक्ति 15—18

"आनुवंशिकी क्लिनिक" की वर्तमान परिभाषा **के स्थान पर**
"आनुवंशिकी क्लिनिक" से क्लिनिक, संस्था, अस्पताल, परिचर्या गृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी नाम से हो, अभिप्रेत है जिसका उपयोग प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाएं, करने के उद्देश्य से किया जाता है" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(तीन) खण्ड 2(ङ) पृष्ठ 2, पंक्ति 20

"आनुवंशिकी सलाह केन्द्र" **के स्थान पर** "आनुवंशिकी क्लिनिक" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(चार) खण्ड 2(च) पृष्ठ 2, पंक्ति 23

समिति ने महसूस किया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ में कोई भेद नहीं है। अतः समिति ने संशोधन को निम्न रूप में स्वीकार किया तथा "बाल रोग विशेषज्ञ" को परिभाषित करने के लिए एक नया उप-खण्ड जोड़ने का भी निर्णय किया:—
"स्त्री रोग विशेषज्ञ" शब्द **के पश्चात** "और प्रसूति विशेषज्ञ" शब्द **जोड़ें।**

(पांच) पृष्ठ 2, पंक्ति 24 के पश्चात निम्नलिखित उप-खण्ड **जोड़ें:**
"(छ) "बालरोग विशेषज्ञ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता है:"

(छह) पृष्ठ 2, पंक्ति 25

"(छ)" **के स्थान पर** "(ज)" **प्रतिस्थापित करें।**

(सात) पृष्ठ 2, पंक्ति 32

"(ज)" **के स्थान पर** "(झ)" **प्रतिस्थापित करें।**

(आठ) पृष्ठ 2, पंक्ति 33

"भ्रूणदर्शिका" **के पश्चात** "पराश्रव्य चित्रण" **अन्तःस्थापित करें।**

(नौ) पृष्ठ 2, पंक्ति 37

"(झ)" **के स्थान पर** "(ञ)" **प्रतिस्थापित करें।**

(दस) पृष्ठ 2, पंक्ति 39

(क) "(ञ)" **के स्थान पर** "(ट)" **प्रतिस्थापित करें।**

(ख) "परीक्षण" **के पश्चात** "यथा पराश्रव्य चित्रण" **अन्तःस्थापित करें।**

(ग्यारह) पृष्ठ 2, पंक्ति 44

"(ट)" **के स्थान पर** "(ठ)" **प्रतिस्थापित करें।**

(बारह) पृष्ठ 2, पंक्ति 46

"(ठ)" **के स्थान पर** (ड) **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(तेरह) पृष्ठ 3, पंक्ति 1

"(ड)" **के स्थान पर** "(ढ)" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खंड़ 2 को यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

6. तत्पश्चात् समिति ने खंड 3(1) (2) पर सामान्य चर्चा की और उससे संबंधित संगत संशोधनों पर विचार विमर्श को स्थगित कर उन पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया जब उपयुक्त प्राधिकारी से संबंधित खंड 17 पर विचार किया जाएगा।

7. समिति ने खंड 3(3) पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए:

खंड 3(3) पृष्ठ 3, पंक्ति 14

में "स्त्री रोग विशेषज्ञ" **के पश्चात्** "बाल रोग विशेषज्ञ" **जोड़ा जाए।**

8. समिति ने खंड 4(1) प्रस्तावित संशोधनों पर विचार विमर्श को अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया जब उसमें उपयुक्त प्राधिकारी से संबंधित खंड 17 पर विचार किया जाएगा।

9. समिति ने खंड 4(3) (iii) के निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:

खंड 4(3) (iii) पृष्ठ 4, पंक्ति 6

(क) "विरूपकारी" **के पश्चात्** "एजेन्टों जैसे" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(ख) "या" **के पश्चात्** "जोखिमयुक्त" का **लौप किया जाए।**

10. समिति ने खंड 5 पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया:

खंड 5

(i) पृष्ठ 4, पंक्ति 18

"संभाव्य" **के स्थान पर** "ज्ञात" **प्रतिस्थापित करें।**

(ii) पृष्ठ 4, पंक्ति 19-20

"ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित सहमति निहित प्रारूप में अभिप्राप्त न कर ली हो।" **के स्थान पर**

"प्रादेशिक भाषा में उसकी लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई हो जैसाकि इस अधिनियम के नियम और विनियम द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और उसके बाद उसकी एक प्रति महिला को देने के बाद, और जब तक कि यह परीक्षण विशेष रूप से लिंग संबंधी विसंगतियों का पता लगाने के लिए नहीं किया गया हो, भ्रूण के लिंग का मौखिक रूप से अथवा प्रतीकात्मक रूप से अथवा लिखित रूप से अथवा किसी अन्य रूप में उस महिला, जिस पर यह परीक्षण किया जा रहा है अथवा उसके रिश्तेदारों को नहीं बताया जाएगा।" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खंड 5 को यथासंशोधित स्वीकार किया गया।

11. समिति ने विधायी परामर्शदाता को समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न खंडों के पाठ में संशोधन करने का निदेश दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 3 नवम्बर, 1992 को 11.00 बजे पुनः होने के लिए स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 3 नवम्बर, 1992 को 11.30 बजे से 14.00 बजे तक समिति कमरा "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
3. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्रीमती गिरिजा देवी
6. डा० (श्रीमती) पदमा
7. डा० (श्रीमती) वसंत पवार
8. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

9. श्री शारदा मोहन्ती
10. श्री वी० नारायणसामी
11. श्रीमती सत्य बहिन
12. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव

श्री टी० डी० ढींगरा — अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

(एक) श्रीमती उषा वोहरा — सचिव

(दो) श्री एस० एस० कपूर — निदेशक

(तीन) डा० श्रीमती बी० चड्ढा — अध्यक्ष, प्रासविकी और स्त्री-रोग विभाग

(चार) डा० बी० एन० सक्सेना — वरिष्ठ उप-निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अन्सारी नगर, नई दिल्ली

(पांच) डा० (श्रीमती) कमल बख्शी— प्रोफेसर और अध्यक्ष, प्रोसविकी और स्त्री रोग विभाग

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

(एक) श्री एन० के० अग्रवाल — संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

(दो) श्री टी० के० विश्वनाथन — अपर विधायी सलाहकार

2. समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में विधेयक के उपबंधों पर खंड-वार पुनः विचार आरम्भ किया।

3. समिति ने खण्ड 7 पर सामान्य चर्चा की और टिप्पणी की चूंकि विधेयक का संबंध हमारी 50% आबादी से है; और संसद सदस्य उनका प्रतिनिधत्व करते हैं इसलिए बाल चिकित्सकों के अतिरिक्त महिला संसद सदस्याओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। समिति ने निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया—

खण्ड 7

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 41 **के पश्चात्**
जोड़ा जाए निम्नलिखित उप खण्ड
"(घ) महानिदेशक, पदेन, केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा";

(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 42
(क) "(घ)" के लिए
"(ङ)" **प्रतिस्थापित करें।**
(ख) "आठ" **के स्थान पर**
"(दस)" **प्रतिस्थापित करें।**

(तीन) पृष्ठ 5, पंक्ति 4
(क) "बाल रोग विशेषज्ञ" **जोड़ें।**
(ख) "(तीन)" **के स्थान पर**
"(चार)" **प्रतिस्थापित करें।**
(ग) "(चार)" **के स्थान पर**
"(पांच)" **प्रतिस्थापित करें।**

(चार) पृष्ठ 5, पंक्ति 6 **के पश्चात्**
निम्नलिखित नया उप-खण्ड **जोड़ें**
"(ङ)" संसद की तीन महिला सदस्य
जिनमें से दो लोक सभा और
एक राज्य सभा से हो;"

(पांच) पृष्ठ 5, पंक्ति 7
(क) "(ङ)" **के स्थान पर**
"(च)" **प्रतिस्थापित करें।**
(ख) "(दो)" **के स्थान पर**
"(चार)" **प्रतिस्थापित करें।**

(छः) पृष्ठ 4, पंक्ति 7-8

"राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रम में चक्रानुक्रम से" **के स्थान पर**

"राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य जिनमें से दो आरोही वर्णानुक्रम में और दो अवरोही वर्णानुक्रम में, चक्रानुक्रम से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

4. **खण्ड 8**
पृष्ठ 5, पंक्ति 14
"तीन वर्ष होगी" **के स्थान पर**
"(क) धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (छः)
के अंतर्गत नियुक्ति के मामले में एक वर्ष; और
(ख) उपर्युक्त उप-धारा के खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च)
के अंतर्गत नियुक्ति के मामले में तीन वर्ष होगी"
प्रतिस्थापित किया जाए।

5. समिति ने खण्ड 14 को लिया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कियाः—

पृष्ठ 6, पंक्ति 36 **के बाद**

निम्नलिखित नया उप-खण्ड **जोड़ें**

"**(च)** केन्द्रीय सरकार की राय में लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के उपयोग अथवा विकास से जुड़ा हुआ है" **जोड़ा जाए।**

खण्ड 14, यथासंशोधित स्वीकार किया गया।

6. समिति ने खण्ड 16 (तीन) और उसमें किए गए संशोधन पर विचार किया। समिति ने निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कियाः—

खण्ड 16

पृष्ठ 7, पंक्ति 1

"की" **के पश्चात्**

"प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और"

अंतःस्थापित करें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की सोलहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 19 नवम्बर, 1992 को 11.10 से 13.20 बजे तक और पुनः 14.30 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा "ए", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ—पीठासीन अधिकारी

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. डा० विश्वानाथम कैनिथी
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. डा० कार्तिकेश्वर पात्र
7. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

8. श्रीमती चंद्रिका अभिनन्दन जैन
9. श्री वी० नारायणसामी
10. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता—संयुक्त सचिव
श्री आर० के० चटर्जी—उप सचिव
श्री टी० डी० ढींगरा—अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (परिवार कल्याण विभाग) मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्रीमती ऊषा वोहरा	—	सचिव
2. श्री ए० के० मुखर्जी	—	कार्यवाहक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
3. श्री एस० एस० कपूर	—	निदेशक
4. डा० (श्रीमती) बी० चड्ढा	—	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विभाग की अध्यक्षा, प्रो० निदेशक, सेंटर आफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा अस्पताल, दिल्ली।
5. डा० बी० एन० सक्सेना	—	वरिष्ठ उप महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अंसारी नगर, नई दिल्ली-110009
6. डा० (श्रीमती) कमल बक्शी	—	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान विभाग की अध्यक्षा एवं प्रोफेसर

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य (विधायी कार्य विभाग) मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० अग्रवाल — **संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
2. श्री टी० के० विश्वनाथन — **अपर विधायी सलाहकार**

2. प्रारंभ में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और टिप्पणी की कि समिति ने अपनी पूर्व बैठकों में विधेयक के खण्ड 16 तक खण्डवार विचार-विमर्श पूरा किया था।

3. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों से पूछा कि क्या समिति द्वारा पहले ही जिन खडों पर विचार किया गया है और जिसके बारे में उन्हें संबंधित कार्यवाही-सारांश भी परिचालित किए जा चुके हैं, उनके संबंध में उनके पास कोई अन्य सुझाव हैं। एक सदस्य के इस अनुरोध पर सभापति सहमत हो गए कि समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, कि प्रसव पूर्व निदान का सरकारी क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र दोनों में अनुमति होनी चाहिए, बशर्ते कि निजी क्षेत्र अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप हो, के संबंध में दिनांक 2 नवम्बर, 1992 के पूर्व कार्यवाही सारांश में संगत भाग (पैरा 4) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़े जाने के साथ संशोधित होगाः "तथापि, कुछ सद्रस्यों ने महसूस किया कि ये सुविधाएं केवल सरकारी अस्पतालों में दी जानी चाहिये।"

4. तत्पश्चात् समिति ने खंड 17 के संगत संशोधनों पर विचार किया। खंड 17(1) और 17(2) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि समुचित प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्राधिकारियों की जहां-कहीं भी आवश्यकता होगी, उन्हें उन सभी स्थानों पर नियुक्त होना चाहिए। प्राधिकारी किन स्थानों पर नियुक्त किए जाएं यह स्थान विशेष की समस्या की गंभीरता पर निर्भर करेगा। इसलिए समिति ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं—

पृष्ठ 7, पंक्ति 10

(क) "अधिक" **के बाद**

"अधिकारियों को" **का लोप किया जाए।**

(ख)"के लिए" **के बाद** "पूरा अथवा इसके भाग"

अंत:स्थापित किया जाए।

पृष्ठ 7, पंक्ति 13

(क) "अधिक" **के बाद**

"अधिकारियों को" **का लोप किया जाए।**

(ख) "के लिए" **के बाद** "पूरा अथवा राज्य के कुछ भाग समस्या की गंभीरता पर निर्भर करते हुए" **अंत:स्थापित किया जाए।**

5. समिति ने तत्पश्चात् समिति के कुछ सदस्यों द्वारा किये गए संगत संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में खंड 17(3), 17(4), 17(5) पर विचार किया और महसूस किया कि समुचित प्राधिकारी को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए और इसलिए सलाहकार समिति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी। समिति ने निर्णय लिया कि निकाय को प्रभावकारी रूप से कार्य करने के लिए समिति का चेयरमैन नियुक्त करने के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि बाल रोग विशेषज्ञ तथा विधि विशेषज्ञ को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। समिति ने विधि मंत्रालय के विधायी परामर्शदाता को खंड 17 के संगत प्रावधानों को पुनः तैयार करने और समिति के आशयों को शामिल करने संबंधी अन्य संगत खंडों को भी पुनः तैयार करने के लिए कहा। तत्पश्चात् समिति ने विधायी परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये प्रारूप उपबन्धों पर विचार किया और खंड 17 के निम्नलिखित संशोधित उप खंडों को स्वीकार कियाः—

"(3) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त प्राधिकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे ही पद से ऊपर की श्रेणी के होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार स्थितिनुसार नियुक्ति योग्य समझे।

(4) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:—

(क) उप धारा (5) के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्रों और रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द करने की शिकायतों के संबंध में सलाह प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

(ख) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना, रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द करना;

(ग) आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों के लिए विहित मानक लागू करना;

(घ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना और तुरंत कार्रवाई करना।

(5) (एक) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक समुचित प्राधिकारी को, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी और सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेगी।

(दो) सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

क. स्त्रीरोग विशेषज्ञों, प्रसूति विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञों में से तीन चिकित्सा विशेषज्ञ,

ख. एक विधि विशेषज्ञ

ग. यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघशासित राज्य के सूचना एवं प्रचार विभाग से संबंधित एक अधिकारी;

घ. तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठनों के प्रतिनिधियों में से होगा।

(तीन) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार यथास्थिति के विचार से कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो लिंग अवधारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग अथवा संवर्द्धन से संबंधित रहा हो, सलाहकार समिति में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(चार) (क) सलाहकार समिति की बैठक उचित अंतराल पर की जायेगी किन्तु निर्धारित अंतराल से कम समय पर नहीं,

(ख) सलाहकार समिति का सभापति समुचित प्राधिकारी के अनुरोध पर सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करेगा जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार किया जायेगा अथवा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन अथवा रद्द करने की शिकायत पर विचार किया जायेगा और उसपर सलाह दी जायेगी।

(पांच) वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन कोई व्यक्ति सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी समिति द्वारा, उसके कृत्यों के निर्वहन में, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

समिति ने निम्नलिखित एक नया उप-खंड(ख) जोड़े जाने के लिए एक संशोधन पर भी विचार किया और उसे स्वीकार कियाः—

पृष्ठ 7, पंक्ति 34 **के पश्चात्** निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"(6) समुचित प्राधिकारी दोषी पक्षकार द्वारा साक्ष्य की समाप्ति और अभिलोपन को रोकने के लिए किसी अपराध द्वारा पीड़ित व्यक्ति अथवा किसी संगठन अथवा किसी संस्था द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करेगा।"

खंड 17, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

6. तत्पश्चात् समिति ने खंड 18 और उपखंड-(1) के संगत संशोधन पर विचार-विमर्श शुरू किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किएः—

(एक) पृ॰ 7, पंक्ति 41

"रजिस्ट्रीकृत" **के पश्चात्**

"पृथक अथवा संयुक्त रूप से" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(दो) पृ॰ 8, पंक्ति ।

"तकनीकों" **के पश्चात्**

"संबंधी सलाह देने अथवा उन" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(तीन) पृ॰ 8, पंक्ति 6

(क) "संपादन" **से पूर्व**

"पृथक अथवा संयुक्त रूप से" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(ख) पृ॰ 8, पंक्ति 5

"तकनीकों" **के पश्चात्**

"संबंधी सलाह देने अथवा उन" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

खंड 18, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

7. तत्पश्चात् समिति ने खण्ड 19 को लिया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कियाः

पृष्ठ 8, पंक्ति 20

"क्लीनिक" **के पश्चात्**

"पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

खण्ड 19, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

8. तत्पश्चात् समिति ने खण्ड 22 से संबंधित संशोधनों पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार कियाः

(एक) "पृष्ठ 9, पंक्ति 12"

"(1) कोई भी" **के पश्चात्**

"व्यक्ति, संगठन अथवा" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(दो) पृष्ठ 9, पंक्ति 18 **के पश्चात्**

"(2) जो कोई भी प्रकाशक अथवा वितरक अथवा वह व्यक्ति जो आनुवांशिक सलाहकेन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की सुविधाओं के बारे में कोई भी विज्ञापन किसी भी रीति में प्रकाशित करता है अथवा वितरित करता है तो उसे समान दण्ड दिया जायेगा जैसा कि उप-धारा(2) के अन्तर्गत व्यवस्था है।" **जोड़ा जाये।**

(तीन) पृष्ठ 9, पंक्ति 19

(क) "(2)" **के स्थान पर** "(3)" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(ख) "उपधारा (1)" **के पश्चात**

"अथवा उप-धारा (2)" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

खंड 22, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

9. तत्पश्चात्, समिति ने आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों/तकनीकों आदि के विनियमन से संबंधित खंड 3(1), 3(2) और खंड 4(1) पर विचार-विमर्श शुरू किया जिसे पूर्व बैठक में "समुचित प्राधिकारी" से संबंधित खंड 17 पर विचार के समय चर्चा किए जाने के लिए स्थगित कर दिया था। समिति ने एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संगत संशोधनों पर भी विचार किया। विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि अल्ट्रा-साउंड मशीनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, चूंकि मशीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, विशेषकर, ऐसे स्थानों, जहां पर ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जायेगा, के पंजीकरण तथा उन विभिन्न आनुवंशिकी परीक्षणों जिनके लिए ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, के संबंध में भी विधेयक में अन्य पर्याप्त प्रावधान हैं। तथापि कुछ सदस्यों का अल्ट्रा-साउंड मशीनों के पंजीकरण के प्रश्न पर भिन्न मत था। तत्पश्चात् खंड 3 और 4 समिति द्वारा स्वीकार किए गए पूर्व संशोधनों के अनुसार स्वीकृत किए गए।

10. तत्पश्चात्, समिति ने खण्ड 23 को विचार हेतु लिया और उससे संगत संशोधन प्रस्तुत किये गये। चर्चा पूरी नहीं हुई।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक मंगलवार, 20 नवम्बर, 1992 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

गोपनीय

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की सत्रहवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 20 नवम्बर,. 1992 को 11.20 बजे से 13.10 बजे तक समिति कमरा "ए", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गिरिजा देवी
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. डा० कार्तिकेश्वर पात्र

राज्य सभा

5. श्रीमती सरला महेश्वरी
6. श्री वी० नारायणसामी
7. श्रीमती सत्या बहिन
8. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

श्री आर० के० चटर्जी — **उपसचिव**

श्री टी० डी० ढींगरा — **अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० ए० के० मुखर्जी — **कार्यकारी महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें**
2. श्री एस० एस० कपूर — **निदेशक**
3. डा० बी० एन० सक्सेना — **वरिष्ठ उपनिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अंसारी नगर,नई दिल्ली**
4. डा० (श्रीमती) कमल बख्शी — **प्रो० एवं विभागाध्यक्ष प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० अग्रवाल — **संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री टी० के० विश्वनाथन — **अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता**

2. समिति ने आगे विधेयक के उपबंधों में प्रस्तावित तत्संबंधी संशोधनों के संदर्भ में उस पर खंडवार विचार किया।

3. समिति ने खंड 23 के भाग पर चर्चा की और तत्संबंधी निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार कियाः—

पृष्ठ — 9, पंक्ति 26

"अपनी" के **पश्चात्**

व्यवसायिक/तकनीकी अन्तःस्थापित किया जाये

खंड 23, यथासंशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

4. समिति ने खंड 24 के संबंध में प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर भी चर्चा की। समिति ने विद्यमान उपबंधों में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया।

5. तत्पश्चात् समिति ने खंड 28 पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कियाः—

पृष्ठ — 10, पंक्ति 41

(क) "व्यक्ति" **के पश्चात्**

"ऐसा व्यक्ति जो किसी सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता हो शामिल है" **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(ख) "साठ" **के स्थान पर**

"तीस" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

खंड 28 यथासंशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

6. तत्पश्चात्, समिति ने बिना किसी संशोधन के खंड 1, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम और संक्षिप्त नाम को स्वीकार किया।

7. समिति ने, विधेयक में जहां आवश्यक हों, पेटेंट गलतियों को ठीक करने और विधेयक में शाब्दिक अथवा परिणामतः प्रकृति के संशोधन करने के लिए विधायी परामर्शदाता को भी प्राधिकृत किया।

8. सदस्यों से प्राप्त संशोधनों, जिन पर समिति ने विचार किया परन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया अथवा जिन्हें सदस्यों ने वापिस ले लिया, को **अनुबंध** में दिया गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

लोक सभा सचिवालय

(समिति शाखा—दो)

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन) और दुरुपयोग निवारण विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति।

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूची, जिन पर समिति की 2, 3,. 19 और 20 नवम्बर, 1992 को हुई बैठकों में उसके द्वारा विचार किया गया और स्वीकार नहीं किया गया।

(देखिये दिनांक 20 नवम्बर, 1992 के कार्यवाही सारांश का पैरा 8)

क्र०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
1	2	3
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:	
1.	पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2 "यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे" **के स्थान पर** "यह संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित करने के तीन महीने के अन्दर प्रवृत्त होगा" **प्रतिस्थापित किया जाये**	1 (झ)
	श्रीमती सरला माहेश्वरी	
2.	**पृष्ठ 2, पंक्ति 2** "नियत करे" के पश्चात् "परंतु यह विधेयक पारित होने के छः महीने की अवधि से अधिक न हो।" **जोड़ा जाये।**	1 (3)
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:	
3.	पृष्ठ 2, पंक्ति 8 से 14, "8 से 14" पंक्तियों **के स्थान पर** "(ग) इस विधेयक के प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट परीक्षण का अभिप्राय निम्नलिखिते में से कोई भी प्रसव-पूर्व निदान परीक्षण, तकनीक, प्रक्रिया से है, नामतः (एक) एमनियोसेन्टिसिंस (दो) कोरियनबिल बायोपसी (तीन) भ्रूण दर्शिकी (चार) कोई भी अन्य परीक्षण जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और विशिष्ट परीक्षण का अभिप्राय निम्नलिखित में से कोई भी प्रसवपूर्व निदान परीक्षण, तकनीक, प्रक्रिया से है, नामतः (एक) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) से (तीन) में उल्लिखित कोई भी निर्दिष्ट परीक्षण, (दो) कोई भी अन्य परीक्षण जो सरकार द्वारा उपरोक्त उप-खण्ड (चार) के अन्तर्गत निर्दिष्ट परीक्षण के रूप में अधिसूचित किया गया हो, (तीन) सोनोग्राफी (चार) कोई भी अन्य परीक्षण जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे" **प्रतिस्थापित किया जाये**	2 (ग)
	श्रीमती सरला माहेश्वरी:	
4.	पृष्ठ 2, पंक्ति 8 से 22 "पंक्ति 8 से 22", का **लोप किया जाये**	2 (ग), (घ), (ड)

1	2	3
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:	
5.	पृष्ठ 2, पंक्ति 15—18: "पंक्ति 15 से 18" **के स्थान पर** "(घ) एक आनुवंशिकी इकाई से रोगियों को आनुवांशिक सलाह देने के प्रयोजनार्थ और धारा 2, खण्ड (ग) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट और उल्लिखित परीक्षणों के लिये स्त्री रोग सम्बन्धी और प्रसूति सम्बन्धी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिये किसी भी सरकारी अस्पताल, अनुसन्धान संस्थान अथवा चिकित्सा कालिज से सम्बद्ध इकाई अभिप्रेत है" **"प्रतिस्थापित किया जाये"**	2 (घ)
6.	पृष्ठ 2, पंक्ति 19—22, "पंक्ति 19 से 22" **का लोप करें** **परिणामी संशोधन** **2(छ) के स्थान पर 2 (झ) पढ़ा जाये** **2(ज) के स्थान पर 2 (ञ) पढ़ा जाये** **2(झ) के स्थान पर 2 (ट) पढ़ा जाये** **2(ञ) के स्थान पर 2 (ठ) पढ़ा जाये** **2(ट) के स्थान पर 2 (ड) पढ़ा जाये** **2(ठ) के स्थान पर 2 (ढ) पढ़ा जाये** **2(ड) के स्थान पर 2 (ण) पढ़ा जाये**	2 (ड)
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:	
7.	पृष्ठ 2, पंक्ति 32—43 "पंक्ति 32 से 43 **का लोप किया जाये:**	2(ज),(झ), (ञ)
	श्रीमती सरला माहेश्वरी	
8.	पृष्ठ 2, पंक्ति 32—43, "पंक्ति 32 से 43" **के स्थान पर** "निर्दिष्ट परीक्षण" से निम्नलिखित कोई भी परीक्षण अभिप्रेत है: (एक) एमनियोसेन्टिसिस (दो) कोरियनबिल बायोपसी (तीन) भ्रूण दर्शिकी (चार) कोई भी अन्य परीक्षण जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और विशिष्ट परीक्षण केवल निम्नलिखित प्रसवपूर्व निदान परीक्षण प्रक्रिया से अभिप्रेत है, नामतः (एक) उपरोक्त उप-खण्ड (एक से तीन) में उल्लिखित कोई भी निर्दिष्ट परीक्षण, (दो) कोई भी अन्य परीक्षण जो सरकार द्वारा उपरोक्त उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत निर्दिष्ट परीक्षण के रूप में अधिसूचित किया गया हो: (तीन) सोनोग्राफी (चार) कोई भी अन्य परीक्षण जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे"। **प्रतिस्थापित किया जाये"**	2(ज),(झ), (ञ)
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:	
9.	पृष्ठ 3, पंक्ति 7—10: "पंक्ति 7 से 10" **के स्थान पर** "(1) कोई भी चिकित्सा आनुवांशिकीविज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, सरकारी अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों अथवा चिकित्सा कॉलिजों में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध आनुवंशिक इकाई के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक अथवा प्रक्रिया का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपादन नहीं करेगा या उसके संपादन में सहायता नहीं करेगा।' **—प्रतिस्थापित किया जाए**	3(1)

1	2	3

श्रीमती सरला महेश्वरी:

10. पृष्ठ 3, पंक्ति 7—13, "पंक्ति 7 से 13" **का लोप करें** 3(1),(2)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:

11. पृष्ठ 3, पंक्ति "11—13" **के स्थान पर** 3(2)

"(2) सभी चिकित्सा केन्द्र जिनके पास ऐसे उपस्कर हैं अथवा प्राप्त कर रहे हैं जिनका सोनोग्राफी सहित निर्दिष्ट परीक्षणों में प्रयोग किया जाता है, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और उनके लिए इस अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिए गर्भवती महिलाओं पर किए गए सभी परीक्षणों का रिकार्ड रखना अपेक्षित होगा।" — **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:

12. पृष्ठ 3, पंक्ति 14—16, "पंक्ति 14 से 18" का **लोप किया जाए।** 3(3)

श्रीमती सरला महेश्वरी:

13. पृष्ठ 5, पंक्ति 14—18, पंक्ति 14—18 **के स्थान पर** 3(3)

"कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, सरकारी अस्पतालों, अनुसंधान संस्थान अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए आनुवंशिकी केन्द्रों के सिवाय किसी भी निर्दिष्ट प्रसवपूर्व निदान तकनीक अथवा प्रक्रिया का स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से संपादन नहीं करेगा या संपादन नहीं कराएगा या उसके संपादन में सहायता नहीं करेगा।" — **प्रतिस्थापित किया जाए**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:

14. पृष्ठ 3, पंक्ति 22-23, "रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक सहित कोई स्थान नहीं।" **के स्थान पर** 4(1)

"विशेष परीक्षण के लिए कोई आनुवंशिकी यूनिट अथवा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा केन्द्र नहीं।" — **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती सरला महेश्वरी:

15. पृष्ठ 3, पंक्ति 22-23, "पंक्ति 22-23" **के स्थान पर** 4(1)

"विशेष जांच के लिए कोई आनुवंशिकी अथवा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा केन्द्र नहीं" — **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:

16. पृष्ठ 3, पंक्ति 25, "पश्चात" **के स्थान पर** 4(1)

"बिना" — **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती गीता मुखर्जी:

श्रीमती गिरिजा देवी:

17. पृष्ठ 4, पंक्ति 3, "पैंतीस" **के स्थान पर** 4(3)(एक)

"तीस" पढ़ें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:

18. पृष्ठ 4, पंक्ति 7, "रसायनों" **के पश्चात्** 4(3)(तीन)

"इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार" **जोड़ा जाए।**

1	2	3
	श्रीमती सरला महेश्वरीः	
19.	पृष्ठ 4, पंक्ति 7, "रसायनों" **के पश्चात्** "और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार" **जोड़ा जाए।**	4(3) (तीन)
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः	
20.	पृष्ठ 4, पंक्ति 9, "आनुवंशिकी रोग" **के पश्चात्** "इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार" **जोड़ा जाए।**	4(3) (चार)
	श्रीमती सरला महेश्वरीः	
21.	पृष्ठ 4, पंक्ति 9, "आनुवंशिकी रोग" **के पश्चात्** "इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों के अनुसार" **अंतः स्थापित किया जाए।**	4(3) (चार)
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः	
22.	पृष्ठ 4, पंक्ति 21-29 "पंक्ति 21-29" **का लोप किया जाये।** **परिणामी संशोधन** उप खंड 2(घ) **के स्थान पर** 2(ङ) **पढ़ा जाये।** उप खंड 2(छ) **के स्थान पर** 2(च) **पढ़ा जाये।** उप खंड 2(च) **के स्थान पर** 2(छ) **पढ़ा जाये।**	6(क) (ख)
23.	पृष्ठ 5, पंक्ति "आठ" **के स्थान पर** "बारह" पढ़ा जाये। **परिणामी संशोधन** 7(2) (घ) (iii) **के स्थान पर** 7(2) (घ) (v) **पढ़ा जाये।** 7(2) (घ) (iv) **के स्थान पर** 7(2) (घ) (vi) **पढ़ा जाये।** **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य,**	7(2), (घ)
24.	पृष्ठ 5, पंक्ति 1, "आठ" **के स्थान पर** "दस" **प्रतिस्थापित किया जाये।** **श्रीमती सरला महेश्वरीः**	7(2) (घ)
25.	पृष्ठ 5, पंक्ति 1 "आठ" **के स्थान पर** "दस" **प्रतिस्थापित किया जाये।**	7(2) (घ)
26.	पृष्ठ 5, पंक्ति 5, "पंक्ति 5" **के पश्चात** "कानूनी विशेषज्ञ" **जोड़ा जाये।** **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः**	7(2) (घ) (iii)
27.	पृष्ठ 5, पंक्ति 5, "पंक्ति 5" **के पश्चात्** "(ङ) कानूनी विशेषज्ञ" **जोड़ा जाये**	7(2) (घ) (iv)

1	2	3

परिणामी संशोधन

7(2)(ङ) **के स्थान पर** 7(2)(च) पढ़ा जाये।

7(2)(च) **के स्थान पर** 7(2)(छ) पढ़ा जाये।

28. पृष्ठ 5 पंक्ति 7 "संशोधित (7)(2)(ड)" के पश्चात् 7(2)(ड)(iv)

निम्नलिखित जोड़ा जाये। बशर्ते कि वे किसी भी तरह सेलिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग अथवा प्रोत्साहन से संबंद्ध नहीं रहे हों।"

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्रीमती गिरिजा देवी

29. पृष्ठ 5 पंक्ति 6 "महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि" का **लोप किया जाये।** 7(2)(घ)(iv)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

30. पृष्ठ 5 पंक्ति 7 "दो" के स्थान पर "दस" **प्रतिस्थापित किया जाये।** 7(2)(ड)

श्रीमती सरला महेश्वरी

31. पृष्ठ 5 पंक्ति 7 "दो" **के स्थान पर** 7(2)(ड)

"दस" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

32. पृष्ठ 5 पंक्ति 8 "वर्णानुक्रम में" **के स्थान पर** 7(8)(ड़)

निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** "उन राज्यों से प्रारम्भ करके, जहां प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरूपयोग काफी अधिक है।"

श्रीमती सरला महेश्वरी

33. पृष्ठ 5 पंक्ति 8 "वर्णानुक्रम में" **के स्थान पर** 7(2)(ड़)

निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**

"उन राज्यों से प्रारम्भ करके, जहां प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरूपयोग काफी अधिक है।"

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

34. पृष्ठ 5 पंक्ति 11 **के पश्चात्** 7(2)(ड़)

निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**

"बशर्ते कि वे किसी भी तरह से लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग अथवा प्रोत्साहन से संबंद्ध नहीं रहे हों।"

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्रीमती गिरिजा देवी

35. पृष्ठ 5 पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया उप खंड 2(च) **अन्तःस्थापित किया जाए** "महिला कल्याण संगठनों के चार प्रतिनिधि" 7(2)(ड़)

परिणामी संशोधन 7(2)(छ)

7(2)(च) **के स्थान पर 7(2)(छ) पढ़ा जाये।**

1	2	3

श्रीमती गीता मुखर्जी
श्रीमती गिरिजा देवी

36. पृष्ठ 7, पंक्ति 3 से 6 16(iv) तथा (v) **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये:** 18(iv)(v)

"(iv) निर्धारित परीक्षण करने के लिए सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा आनुवांषिकी विज्ञों रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अनुपालन के लिए आचार संहिता निर्धारित करना।"

(पांच) नामित परीक्षणों को उचित ढंग से करने के लिए आवश्यक उपस्करों, कौशल तथा विशेषज्ञता के संबंध में न्यूनतम स्तरों की एक सूची तैयार करना।"

श्रीमती सरला महेश्वरी

37. पृष्ठ 7, पंक्ति 3—6 पंक्ति 3—6 **के स्थान पर** 16(iv)

निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये:**

"(iv) निर्धारित परीक्षण करने के लिए सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा आनुवांषिकी विज्ञों रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अनुपालन के लिए आचार संहिता निर्धारित करना।"

(पांच) नामित परीक्षणों को उचित ढंग से करने के लिए आवश्यक उपस्करों, कौशल तथा विशेषज्ञता के संबंध में न्यूनतम स्तरों की एक सूची तैयार करना।"

38. पृष्ठ 7, पंक्ति 6 **के पश्चात** 16 (iv)

निम्नलिखित दो नये उप-खण्ड जोड़े जायें:—

"(v) इसकी गतिविधियों के बारे में छः मासिक प्रतिवेदन संगत विधान सभाओं तथा निर्वाचित निकायों को प्रस्तुत करना, जो उन निकायों के सदस्यों से समक्ष रखे जाने हैं।"

"(vi) समुचित प्राधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना।"

परिणामी संशोधन 16(vi) **के स्थान पर**
16 (vii) पढ़ा जाये।

श्रीमती सरला महेश्वरी

39. पृष्ठ 7, पंक्ति 12-14 17 (2)

पंक्ति 12-14 **के स्थान पर**
निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए:—**

"राज्य सरकार एक राज्य समुचित प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(i) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पदेन सभापति।
(ii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य सेवाएं, पदेन उपसभापति।
(iii) महिला संगठनों के दो प्रतिनिधि
(iv) एक प्रतिष्ठित स्त्रीरोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञ
(v) एक प्रतिष्ठित वकील
(vi) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्रीमती गिरिजा देवी

1	2	3
40.	पृष्ठ 7, पंक्ति 13 "समुचित प्राधिकारियों" **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए:** "जिला स्तर तक" **परिणामी संशोधन** 17(3) **के सथान पर** 17(4) **पढ़ा जाये।** 17(4) **के स्थान पर** 17(5) **पढ़ा जाये।** 17(5) **के स्थान पर** 17(6) **पढ़ा जाये।**	17(2)
41.	पृष्ठ 7, पंक्तियां 13-14 "एक या अधिक अधिकारियों को समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी।" **के स्थान पर** "राज्य समुचित प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (एक) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, पदेनः सभापति (दो) स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निदेशक, पदेनः सभापति (तीन) गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक राज्य स्तरीय महिला संगठन में से होगा। (चार) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि, जिसका पद उप-निदेशक से कम न हो। (पांच) एक प्रख्यात स्त्री-रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा आनुवंशिकी विज्ञ। (छः) महिलाओं संबंधी विधियों का अनुभवी एक प्रख्यात अधिवक्ता; (सात) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि (तीन) (चार) (छः), (सात) पर दिए गए सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे" **प्रतिस्थापित किया जाये।** **श्रीमती गीता मुखर्जी:** **श्रीमती गिरिजा देवी:**	17(2)
42.	पृष्ठ 7, 16-17 "यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर की पंक्ति के होंगे" **के पश्चात** "उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों का स्तर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिले में परिवार कल्याण के प्रभारी अधिकारी के स्तर के होंगे" **जोड़ा जाये।** **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य**	17(3)
43.	पृष्ठ 7, पंक्ति 20 "रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना" **के पश्चात** "चिकित्सा केन्द्र जिसके पास विशेष परीक्षणों में उपयोग हेतु उपकरण हैं अथवा वह इन्हें प्राप्त कर रहा है।" **अंतः स्थापित किया जाये।** **श्रीमती सरला माहेश्वरी**	17(4) (एक)
44.	पृष्ठ 7, पंक्ति 20 "रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना" **के पश्चात** "चिकित्सा केन्द्र जिसमें कार्य चल रहा है अथवा विशेष परीक्षणों में उपयोग हेतु उपस्कर प्राप्त कर रहा है। **अंतः स्थापित किया जाये।**	17(4) (एक)

1	2	3

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

45. पृष्ठ 7, पंक्ति 22-23 — 17(4) (दो)
"17(4) (दो) **के स्थान पर**
"(दो) सभी विशिष्ट परीक्षणों के लिए विहित मानक लागू करना" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

श्रीमती सरला महेश्वरी

46. पृष्ठ 7, पंक्ति 22-23 — 17(4) (दो)
"पंक्ति 22-23" **के स्थान पर**
"(दो) सभी विशिष्ट परीक्षणों के लिए विहित मानक लागू करना" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

47. पृष्ठ 7, पंक्ति 24-25 — 17(4) (तीन)
"पंक्ति 25" **के बाद**
"(चार) यह सुनिश्चित करना और निगरानी रखना कि विनिर्दिष्ट परीक्षण केवल सरकारी अस्पतालों से संबद्ध इकाइयों, चिकित्सा महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा ही किए जाते हैं और अधिनियम की विनिर्दिष्टताओं के भीतर हैं।
(5) विशिष्ट परीक्षणों से संबंधित सभी चिकित्सा अभिलेखों की आवधिक छानबीन करना।"
जोड़ा जाए।

श्रीमती सरला महेश्वरी

48. पृष्ठ 7, पंक्ति 25 — 17(4) (तीन)
"पंक्ति 33" **के पश्चात**
(चार) यह सुनिश्चित करना और निगरानी रखना कि विनिर्दिष्ट परीक्षण केवल सरकारी अस्पतालों से संबंद्ध इकाइयों चिकित्सा महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा ही किए जाते हैं और अधिनियम की विनिर्दिष्टताओं के भीतर हैं।
(पांच) विशिष्ट परीक्षणों से संबंधित सभी चिकित्सा अभिलेखों की आवधिक छानबीन करना।"
जोड़ा जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्रीमती गिरिजा देवी

49. पृष्ठ 7, पंक्ति 28 के बाद — 17(5) (एक)
नया उप खंड अंत-स्थापित किया जाये
"(दो) समान स्तर पर समुचित प्राधिकरणों की सहायता करने और मंत्रणा देने हेतु राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिला-स्तरीय परामर्शदात्री समितियां गठित करेंगे।"

परिणामी संशोधन
17(5) **के स्थान पर** 17 (5) (तीन) **पढ़ा** जाये
17(5) (तीन) **के स्थान पर** 17(5) (चार) **पढ़ा** जाये।

50. पृष्ठ 7, पंक्ति 29-30 — 17(5) (दो)
"दो स्त्री रोग विशेषज्ञों" **के स्थान पर**
"एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक प्रसूति विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ" **प्रतिस्थापित किया जाये**

51. पृष्ठ 7, 30 — 17(5) (दो)
"तीन" **के स्थान पर**
"पांच" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

1	2	3
52.	पृष्ठ 7, पंक्ति 30 "एक" **के स्थान पर** "तीन" **पढ़ा जाये**	17(5) (दो)
	पृष्ठ 7, पंक्ति 31 "और समान स्तर पर सूचना और प्रसारण विभाग से एक प्रतिनिधि" **अंत:स्थापित किया जाये।** **श्रीमती गीता मुखर्जी:** **श्रीमती गिरिजा देवी:**	17(5) (दो)
54.	पृष्ठ 7, पंक्ति 38 "(1) आनुवांशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवांशिकी क्लिनिकों को सामान्य रूप से सरकारी अस्पतालों अथवा संस्थानों के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल चुनिंदा मामलों में ही उच्च प्रतिष्ठित और पर्याप्त शिक्षित कर्मचारी एवं उपस्करों वाले निजी संस्थानों को ही रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाए।" **अंत:स्थापित किया जाए**	18 एक
55.	पृष्ठ 8, पंक्ति 33 "या परिवाद पर" **के पश्चात्** "किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक संस्थान से" **अंत:स्थापित किया जाए** **श्रीमती गीता मुखर्जी** **श्रीमती गिरिजा देवी** **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:**	20 (एक)
56.	पृष्ठ 9, पंक्तियां 22-31 "पंक्तियां 22-31 [धारा 23(1)] **के स्थान पर** "(1) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों में किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है वह कारावास जिसकी निम्नतम अवधि एक वर्ष होगी जो तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और निम्नतम जुर्माना पांच हजार रुपए जिसे बढ़ाकर बीस हजार रुपये तक किया जा सकता है और किसी पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि पर कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार तक हो सकेगा, और दण्डनीय होगा।" **प्रतिस्थापित किया जाए।**	23(1)
57.	पृष्ठ 9, पंक्ति 45 "पश्चात्वर्ती अपराधों" **के पश्चात्** "जिस पर राज्य चिकित्सा परिषद् के लिए अपने रजिस्टर से विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए नाम हटाना अनिवार्य होगा।" **जोड़ा जाये**	23(2)
58.	पृष्ठ 9, पंक्ति 41-42 "(जिसके अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है, जब तक कि वह ऐसी निदान तकनीक कराने के लिए विवश न की गई हो)" **का लोप किया जाए।** **श्रीमती सरला महेश्वरी:**	23(3)
59.	पृष्ठ 9, पंक्ति 41-42 "जिसके अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जब तक कि वह ऐसी निदान तकनीक करने के लिए विवश न की गई हो)" **का लोप किया जाए।**	23(3)

1	2	3
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः	
60.	पृष्ठ 10, पंक्ति 2 "जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो," **का लोप किया जाए।**	24
	श्रीमती सरला महेश्वरीः	
61.	पृष्ठ 10, पंक्ति 2 "जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो" **का लोप किया जाए।**	24
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः	
62.	पृष्ठ 10, पंक्तियां 37-45 "28(1), (क), (ख)" **का लोप किया जाए।**	28(1)(क)(ख)
	श्रीमती गीता मुखर्जीः **श्रीमती गिरिजा देवीः**	
63.	पृष्ठ 10, पंक्तियां 41-45 उप-खंड (ख) **के स्थान पर** निम्नलिखित नया उप-खंड (ख) **प्रतिस्थापित किया जाए।** "(ख) कोई व्यक्ति या सामाजिक संस्था ऐसे अपराध से अवगत हो"	28(1)(ख)
64.	पृष्ठ 10, पंक्ति 49 "ऐसे व्यक्ति" **के पश्चात्** **"अथवा सामाजिक संस्था" जोड़ा जाए।**	28(3)
65.	पृष्ठ 11, पंक्ति 1 "ऐसे व्यक्ति" **के पश्चात्** **"अथवा सामाजिक संस्था" जोड़ा जाए।**	28(3)
	सामान्य सुझाव	
	श्रीमती सरला माहेश्वरीः	
66.	पृष्ठ 4, पंक्तियां 21-29, "पंक्तियां 21-29" **का लोप किया जाए।**	6
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः	
67.	पृष्ठ 67, पंक्तियां 35-46 और पृष्ठ 8, पंक्तियां 1-48 और पृष्ठ 9, पंक्तियां 1 से 9, "अध्याय 6, खंड 18-21" **का लोप किया जाए।**	18,19,20,21

नई दिल्ली,
11 दिसम्बर, 1992

टी० डी० ढींगरा,
अवर सचिव।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति की 18वीं बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 16 दिसम्बर, 1992 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक समिति कमरा "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
3. श्रीमती गिरिजा देवी
4. श्रीमती गीता मुखर्जी
5. डा० (श्रीमती) पदमा
6. डा० वसंत पवार
7. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम

राज्य सभा

8. श्रीमती सरला महेश्वरी
9. श्री शारदा महन्ती
10. श्री वी० नारायणसामी
11. श्रीमती सत्या बहिन
12. श्रीमती सुषमा स्वराज

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी —**उप सचिव**
2. श्री टी० डी० ढींगड़ा —**अवर सचिव**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० कपूर —**निदेशक**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० आर० अत्री—**संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
2. श्री टी० के० विश्वनाथन—**अपर विधायी सलाहकार।**

2. सभापति महोदया ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और टिप्पणी की कि समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक को स्वीकार करने हेतु समिति अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है जिसको समिति के प्रारूप प्रतिवेदन के साथ विधायी प्रारुकारों द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है। तत्पश्चात् सभापति महोदया ने विधेयक और प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में सुझाव यदि कोई है, मांगे।

3. समिति ने विधेयक पर विचार किया और इसे यथासंशोधित स्वीकार किया।

4. इसके पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. तथापि, कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि उनके कतिपय पहलुओं पर भिन्न विचार हैं और यह कहा कि वे प्रतिवेदन के साथ संलग्न करने हेतु अपने विमति टिप्पणी देंगे। तब सभापति महोदया ने टिप्पणी की कि समिति का प्रतिवेदन, समिति द्वारा लिए गए बहुमत निर्णयों पर आधारित है किन्तु फिर भी यदि कोई सदस्य प्रतिवेदन अथवा उसके एक भाग से असहमत है तो विधेयक अथवा प्रतिवेदन में की गई चर्चा से संबंधित किसी भी मामले पर विमति टिप्पणी दे सकता है।

6. इसके बाद सभापति महोदया ने विमति टिप्पणों के संबंध में अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 87 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया और यह घोषणा की कि विमति टिप्पण यदि कोई है, तो उसे लोक सभा सचिवालय को शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1992 को 12.00 बजे तक भेज दिया जाये।

7. समिति ने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने और साक्ष्य के रिकार्ड को सभा पटल पर रखने के लिए सभापति महोदया ने और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, संसद सदस्या ने प्राधिकृत किया।

8. समिति ने श्री शरद महन्ती को और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती सुषमा सवराज को भी प्रतिवेदन और साक्ष्य का अभिलेख राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

9. समिति ने विधायी सलाहकार को विधेयक और प्रारूप प्रतिवेदन में हुई प्रारूप तैयार करने संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्राधिकृत भी किया।

10. समिति ने विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के विधायी सलाहकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के अधिकारियों द्वारा किए गए सहयोग और सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की।

11. समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और समिति के कार्यों को सुविधाजनक बनाए जाने एवं सभी मामलों में तथा प्रारूप प्रतिवेदन को तुरंत तैयार करने में की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की और उनको धन्यवाद दिया।

12. सभापति महोदया ने उपर्युक्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समिति की कार्यवाही को अत्यधिक सौहार्दपूर्ण साधारण में चलाने में उन्हें दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद किया।

13. समिति के सदस्यों ने, समिति की कार्यवाही को योग्यतापूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण ढंग से चलाने और विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विचारों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभापति महोदया (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक(विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1991

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(iii)		क्रमांक 17,	महेश्वरी	माहेश्वरी
16		क्रमांक 5,		
45		क्रमांक 11 तथा अन्य किसी पृष्ठ पर भी		
(iii)		क्रमांक 19 तथा अन्य किसी भी पृष्ठ पर	नारायण स्वामी	नारायणसामी
(xi)		3	अवश्यक	आवश्यक
15		क्रमांक 5 तथा अन्य किसी भी पृष्ठ पर	केनिथी	कैनिथी
16		क्रमांक 1 तथा अन्य किसी भी पृष्ठ पर	मसोदकर	मासोदकर
48		क्रमांक 5 तथा अन्य किसी भी स्थान पर	विश्वनाथ्न	विश्वानाथम
48		क्रमांक 10, जोड़े	मोहन्ती	महन्ती
52		क्रमांक 3 तथा अन्य किसी भी स्थान पर	मालनी	मालिनी

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
53	अंतिम	पंक्ति	"1992 और 20 [illegible] 1992"	"19 और 20 फरवरी, 1992
54		7	सदस्य	सदस्य
54		नीचे से नौ	श्रीमती चन्द्रका जैन	आरंभ में 3 जोड़िए
56		क्रमांक 9	श्रीमती चन्द्रका जैन	श्रीमती चन्द्रका अभिनन्दन जैन
66	6	3	शीतकालिनी	शीतकालीन
67		नीचे से नौंवी	रमेश चन्द्रा	रमेश चन्द्र
71		क्रमांक 7	डा॰ श्रीमती वसंत पवार	डा॰ वसंत पवार
71		क्रमांक 11	श्रीमती सत्य बहिन	श्रीमती सत्या बहिन
87		1, 9 तथा अन्य किसी भी पृष्ठ पर	भट्टार्य	भट्टाचार्य

©1993 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय (फोटो लिथो यूनिट) मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।